

be taken up in the first week of the next session.

Mr. Speaker: That we will see. We shall now take up the next item.

(ii) SUGER-CANE PRICES

Mr. Speaker: This is the last day of this session. I hope everything will conclude by Five o'clock, including even the Half-an-hour Discussion. Therefore, at the most I can extend this discussion upto 4.30 and at 4.30 I will take up the Half-an-hour Discussion and conclude it at Five o'clock.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Mr. Speaker, Sir, it is with deep and serious sense of duty to my constituents, to the State and to India as a whole, that I and 49 of my friends from all sections of this House have given notice for this discussion.

It is really regrettable, Mr. Speaker, that a Ministry which happens to be presided over by an exceptional a man of exceptional talent, a man of character and competence in the person of Sardar Swaran Singh, should be subject to such critical discussion within so short a time after he has made a statement in deference to the wishes of the House.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): Sir, there is nobody representing the Food and Agriculture Ministry.

Mr. Speaker: He is coming. I have sent for him.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): I am here.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: I would request the hon. Deputy Railway Minister to convey my feelings to him.

The hon. Minister was pleased to state that there was a uniform demand for raising the sugarcane prices to Rs. 2 per maund with 9 per cent

recovery, and the Minister has added his own appreciation of the situation and attributed certain utterances to Members, which was not the purport of the demand of this House, that this demand was particularly from the Members of Uttar Pradesh and Bihar. I must say duty bound to my hon. colleagues from Uttar Pradesh and Bihar that when they made this demand of Rs. 2 as the minimum price of sugarcane their intention, expressed in words and by their feelings, never was that this should be restricted only to U.P. and Bihar. By saying so the hon. Minister would be doing an injustice to the Members of both U.P. and Bihar and also to those who unanimously made the demand that Rs. 2 should be the minimum price of sugarcane with 9 per cent recovery.

Mr. Speaker, I must humbly draw your attention to this fact that the hon. Minister in the same breath, in the same statement, said that this was not a permanent assurance to the Members that this price of Rs. 2 shall remain for ever as the minimum price of sugarcane and that it was likely to be reduced or increased as the circumstances demanded.

13-20 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

I think that the tenor of argument that he has used amounts to a threat to cane growers and also to those who represent cane growers here that they need not rest assure that this Rs. 2 will be the minimum price on a permanent basis. I think the Ministry should consider this Point on the background that the very argument that has been placed on the floor of this House revolves on this factor that sugar policy or the so-called sugar policy of the Government of India has been a tragic failure not because of any faults in the policy but because there has not been any sugar policy as such. There has been a persistent demand that a definite sugar policy, if I may say so, if necessary in the form of an Industrial Policy

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

Resolution or in the form of an amendment to the Industrial Policy Resolution is the prime need of the day and I feel that even if the solemn assurances given on the floor of this House by no less a person than the Minister of Food and Agriculture are not upheld or in practice are not observed by the Directorate of Sugar, then, I think there exists a case where the working of the Directorate of Sugar and, if necessary, the general working of the Ministry of Agriculture should also be subjected to scrutiny by a high-level committee including the Members of Parliament presided over by an independent authority. The Minister of Food and Agriculture was pleased to make a statement . . .

Mr. Chairman: I should like that one of the concerned Ministers should be present here.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The Minister of Food and Agriculture is not here. Anyway, with deference to . . .

श्री देवराव शि० पाटिल (यवतमाल):

सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गन्ने की कीमतों के बारे में १२ दिसम्बर, १९६३ को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर डम समय चर्चा शुरू है। यह एक स्पेसिफिक सबजेक्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का कोई भी मिनिस्टर, डिप्युटी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी यहां पर हाजिर नहीं है।

Mr. Chairman: I have raised this very point.

श्री देवराव शि० पाटिल : कैबिनेट की ज्वायंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हैल्य मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Mr. Chairman: There is no point of order.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: There is no point of order; there is still a point of courtesy.

Shri Warior (Trichur): Maybe, they do not know that this discussion has started so early.

Mr. Chairman: The discussion on the previous motion came to an end abruptly. Probably, they may not have the information. They will be coming now.

Shri Hari Vishnu Kamath: You may kindly inform them.

Mr. Chairman: A word has gone to them.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The hon. Minister of Food and Agriculture made a statement on the floor of this House on 8th September, 1963. In that statement the hon. Minister has made a specific promise to this House that all the sugarcane prices that were fixed for 1962-63 season will be increased by 18 np. and it is surprising to find that this promise has not been executed. I will quote the Minister himself. He says:

"Bearing these aspects in mind, Government have decided that a Sugarcane Control Order should be promulgated authorising State Government to regulate the utilisation, purchase and distribution of sugarcane principally to factories and, where considered necessary by State Governments, to power crushers. The factories in areas where the competition with gur and khandsari is intense and where the minimum price is less than Rs. 1.75 per maund or Rs. 4.69 per quintal should be authorised to pay a price of cane upto that amount and the price actually paid should be included in calculations of ex-factory prices."

Now, this specific promise by the Minister of Food and Agriculture has not been executed by the subsequent notifications which were issued. When

the Minister makes a statement that there will be a flat increase of 18 nP. it necessarily follows that all those factories who were getting sugarcane in 1962-63 should pay a minimum increase of 18 nP. on the basis of sugarcane available to them. I say, there is at least one factory in the co-operative sector where there has not been an increase of even one single nP. There are as many as 13 factories in the co-operative sector alone where the promised increase of 18 nP. has not been allowed.

Further than that, the Minister has also made a statement that this fixation in north Bihar and south Bihar and in eastern U.P. and western U.P. on the basis of minimum sugarcane price at Rs. 2 and Rs. 1.75 nP. is necessary because there is competition from gur and khandsari. I think, it was unanimously argued on behalf of all sections of this House that gur and khandsari are not a menace and that it is something by which the cane growers get, I should say, a reasonable price immediately without any middle man. If there should be any necessity for cane supplies, or assurances of cane supplies to the factories, then the emphasis should not be to eliminate gur manufacture but it should be to pay a reasonable price for cane meant for use by the sugar factories and there should be some comparison between the two. Therefore, when the Minister made a distinction between region and region and between north Bihar and south Bihar, between eastern U.P. and western U.P. there was a clamour that this discrimination should go and the Minister of his own accord thought that this clamour was restricted to north Bihar and south Bihar and eastern U.P. and western U.P. and that is why he again said that he would consider this and on the 12th of December he made a statement making Punjab and UP and Bihar entitled to a uniform minimum price of Rs. 2 at 9 per cent recovery. Here, I wish to say that the only argument given by the Ministry is that in view

of the particular circumstances there, this increase is essential. What are the circumstances? They are worth considering. He has said:

"After a very careful consideration of these issues, Government has come to the conclusion that the extra-ordinary conditions that prevail in the sugarcane producing areas of Bihar and Uttar Pradesh in the current year and repercussions of increase in the neighbouring areas of factories have to be given special consideration."

Now, the extra-ordinary conditions calling for special considerations in U.P. and Bihar, according to the Minister himself, are restricted to the demand by U.P. Ministers and the Bihar Chief Minister of Rs. 2 as a minimum price, demand by cane-growers, the threatened strike by cane-growers, the movement of *satyagraha* that was launched in U.P. and Bihar and perhaps the demand made on the floor of this House. Now, in the sequence of things, what is more apparent is that to the Ministry of Food and Agriculture what seems to matter is *satyagraha*, threats, strikes, demands and not the utterances of the hon. Members of this House. Therefore, if the utterances of the hon. Members of this House have any bearing, if they deserve any serious consideration, if everyone of us who has been elected by adult suffrage has some knowledge as to the existence of conditions in his own respective area and constituency, then the Ministry of Food and Agriculture, by way of elementary courtesy to this House, should definitely give sympathetic consideration to the views advanced on the floor of this House. When there has been a uniform demand that without any discrimination, the minimum Rs. 2/- formula should be applied at 9 per cent recovery, the Ministry makes a distinction between region and region and between State and State. The

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

same organisation, I think, deserves to be very critically observed from this point of view that at least in the interest of national integration, in the interest of economic integration, this discrimination goes a long way and this discrimination goes not to help the cane-growers from any region, in whose favour this discrimination is alleged to have been enforced, but it ultimately goes to private interests, to middlemen, to profiteers and to black-marketeers. Therefore, I say that this Directorate of Sugar which has been since long presided over by a non-technical man—I do not know even the name of the person; I do not know whether he is a titular head or he is an effective head—has been for so many years only a sub-office of the Indian Sugar Mills Association and their manipulations and their own trade interests have always been upheld by this Directorate of Sugar and the Ministry of Food and Agriculture has throughout been the victim of the manipulations executed by their own officers. Therefore, I say that there should be an introspection from the Food and Agriculture Ministry side on the working of this Directorate of Sugar. The reason for my saying this is this that the history of sugar policy is one of periodical control and decontrol, exfactory prices and distribution of sugar, regulation of production of sugar, grant and withdrawal of incentives to both cane-growers and manufacturers resulting in cycles of shortages and over-production, and these cycles of shortages and over-production have been engineered by the Directorate of Sugar and have been artificially created by the Directorate of Sugar, and, therefore, this factor also reserves to be gone into.

For instance, in 1951-52, the minimum price of sugarcane was Rs. 1.75. Even today, in 1963, the hon. Minister has given the threat that this minimum price of Rs. 2 or Rs. 1.75 is not a permanent thing. Then, the only inescapable conclusion that we can arrive at

is this that the policies of the Food and Agriculture Ministry are *ad hoc*, there are no permanent solutions, there is no permanent thinking, and their policies, to say the least, are situation-oriented. The hon. Minister was pleased to say on the floor of the House that it was not bad to be situation-oriented. I wish to know from the hon. Minister whether it is good to be situation-oriented when the situation is created by interested parties. Is it good to be situation-oriented when the situation created is going to kill the cane-growers? Is it good to be situation-oriented when the situation created is against national interest?

The Ministry applied a uniform ten per cent cut when there was a slight excess in production. Is it the policy of the Food and Agriculture Ministry that if the sugar production increases even by one bag, a cut of one bag should be applied? Is it policy that if the production increases by 10 per cent, immediately a 10 per cent. cut should be applied? Is it the policy of the Food and Agriculture Ministry that the cane-growers should suffer a uniform and recurrent loss every year?

I feel that the Ministry should concentrate their efforts on the distribution pattern of sugar. I know that the interests of the consumers are uppermost, but the interest of the consumers cannot be guarded by killing the cane-growers, because ultimately if the cane-growers do not get the incentives, or even leaving apart incentives, if they do not get even their input in cane cultivation, then there will not be cane for being supplied to the sugar factories. If we are very keen to get cane supplies to the factories, let us not discriminate between one State and another, between one region and another, between one factory and another.

The hon. Minister has said that because of gur and khandsari competi-

tion, this discrimination is essential. But to what length this discrimination is allowed deserves to be gone into.

In Andhra Pradesh, there is a place called Anakapalle which is supposed to be the biggest or the second biggest gur market in India. Sugar factory there has to pay Rs. 1.75 per maund of sugarcane as the minimum price. But six miles away from that place, there is another factory which has to pay Rs. 2 as the minimum price. So, if we are led into discriminations of this sort, then there is no end where we are going to stop, and the best way to avoid this is to avoid the discrimination itself.

When the Ministry has come to the firm conclusion that the sugar price-linking formula is economic and it is in the best interest of the cane-growers as well as the sugar industry as a whole, then no step should be taken which gives a go-by to the sugar linking formula.

When this uniform demand for Rs. 2 as the minimum price for cane was made, was it from the blue that this demand was made? Was it so unrealistic that the Ministry thought it impossible to accede to it? When we discussed this matter here on the last occasion, the tenor of my argument was that a sugar factory in India was making a profit on an average of Rs. 40 lakhs per year. Today, I stand corrected and I would say that though the profit remains Rs. 40 lakhs per year, the investment is not Rs. 2 crores but it is only Rs. 40 lakhs. So, here is an industry where the investment is Rs. 40 lakhs, and where there is also a return of Rs. 40 lakhs per annum. I think that the Food and Agriculture Minister should step in and see that no factory is allowed to make such a huge profit, and at least a part of the profits is diverted to the cane-growers. If you see the balance-sheet of the Belapur Sugar Mills, you will find that they have declared a profit of Rs. 43 lakhs on an investment of Rs. 40 lakhs.

When I am saying this, I am also sure that the economics of sugar production is such that the cost of production in UP and Maharashtra, Madras and Andhra Pradesh does not appreciably differ. It may differ to a slight extent only. But when there is no uniform cane supply, when there is no uniform capacity for cane-crushing, then all efforts should be directed to the growth of an assured cane supply rather than to an increase in the capacity. I feel that if the profit margin of the sugar industry is to be reduced, then the only way to do so would be by declaring a minimum sugarcane price. If we have to do this, then as a first step, I would suggest that the demand for Rs. 2 as the minimum price for 9 per cent recovery, which is most reasonable, should be immediately acceded to, not because this demand is purely based on the discriminatory announcement which the hon. Minister has made, not because this demand is not unrealistic, but because this figure of Rs. 2 can fit in in the cost structure of sugar, as declared by the hon. Minister.

We find also that every statement that is made on the floor of the House discriminates between region and region. For instance, when the minimum sugarcane price in UP and Bihar was Rs. 1.75, the cost of sugar was about Rs. 118. Then, the cost of sugar in Maharashtra on an average was Rs. 113. That means to say that there was a slab of Rs. 5. Then, the minimum price was raised to Rs. 2. And the cost of sugar in UP rose from Rs. 118 to Rs. 125 or Rs. 127, and there was then a slab of Rs. 12 or 13 between the cost of sugar produced by the southern factories and that produced by the northern factories. Is it the thinking of the Agriculture Ministry that the consumer of UP and Bihar is so rich that he can afford to pay Rs. 127 per quintal of sugar at ex-factory rates, and the consumer of Madras, Maharashtra and Andhra Pradesh is so poor that he has to pay only Rs. 113 per quintal?

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

Another argument in this regard is that whatever may be the Food and Agriculture Ministry's policy in regard to the fixation of the cost of sugar, their policies in regard to the fixation of the cost of sugarcane must be farmer-oriented. As long as they are not farmer-oriented, as long as the Directorate of Sugar sits in the lap of private sugar industry and forces the Ministry of Food and Agriculture to allow a huge diversion of resources and profits to private sugar industry or to the coffers of the big lords of the sugar industry, I feel that the intervention of this House is called for, and it is because of this that this notice for this discussion has been given to the Food and Agriculture Minister.

Further, let us think over the discriminations which have been enforced by the Ministry. In one breath, the Ministry says that the price-linking formula is there but in the next breath, the price-linking formula is given the go-by, because whereas in a particular region, Rs. 1.75 is announced as the price of sugarcane for 9 per cent recovery, in another region, we find that Rs. 2 is announced as the minimum price for 9 per cent recovery.

This discrimination goes further when we take into account the so-called traffic or transport concessions which the Ministry has announced. For instance, the co-operative sugar factories in Maharashtra purchase sugarcane ex-field giving the sugarcane-growers ex-field prices, and they bring the cane to the factory at factory cost, and at the factory gate the cane is weighed and payments are made. The persons concerned with the Directorate of Sugar argue that the sale is made at the factory, and, therefore, the factory cannot get the transport cost which it incurs, and they say this simply because the cane is already in the factory compound. Simply because payment is made at the factory premises or at the factory office, the contract for sale does not start at the factory, but it begins at

the field from where the cane is brought. Weighing of cane and payment for cane are only details of the contract for sale. This is a simple proposition which the people concerned with the Directorate of Sugar are not in a position to appreciate, and even if they are in a position to appreciate it, they are not in a position to enforce this, because they think that this will be contrary to the interests of the private cane-growers.

With your permission, I would like to quote to you a cutting from *The Times of India (Bombay Edition)*, dated the 18th December, 1963. It says:

CANE CROP IN 20 VILLAGES TAKEN OVER BY GOVT. SEQUEL TO MILL'S REFUSAL TO PAY EX-FIELD PRICES

Shrirampur, December 17,

The sugarcane crop in 20 villages in Kopergaon taluka has been taken over by the Government of Maharashtra under the Defence of India Rules. The action followed the refusal of the Changadev Sugar Mills—to which the cane is usually supplied—to pay ex-field delivery prices to the growers.

State Government employees arrived here yesterday and issued notices to the growers in the Puntamba area about the taking over of the crop.

Under instructions from the Government, 35,000 tons of cane in the fields will be supplied by the growers to the Belapur Sugar Company at Harigaon, instead of the Changadev Mills, Puntamba.

The growers in the Puntamba area had started an agitation a fortnight ago demanding that the Changadev Mills should pay them ex-field prices.

The demand was refused by the management. A deputation of the growers met the Chief Minister, Mr. V. P. Naik, and the Minister for Agri-

culture, Mr. P. K. Sawant and sought their intervention.

The State Government's suggestion to the management of the Changadev Mills that it should pay ex-field prices to the growers is also said to have gone unheeded.

The State Government, therefore, applied the Defence of India Act to the cane-growing regions in Shrirampur, Rahuri and Kopargaon and took over the cane crop in the Puntamba area.

The Belapur Sugar Mills, to which the cane from Puntamba is to be diverted, will pay ex-field price to the growers who receive an additional Rs. 5 lakhs on account of the new price formula.

As the cane from the Puntamba area has been diverted to the Belapur Sugar Mills, the Changadev Mills will close its crushing season two months earlier than schedule.

The growers in the Maharashtra Sugar Mills, Tilaknagar, the Godavari Sugar Mills, Laxmiwadi, and Sakharwadi areas have also demanded that the three sugar mills should be compelled to pay them ex-field delivery prices.

The three factories receive 125,000 tons of cane from growers every year".

Here is an instance where for the first time the DIRs are being used by Government to enforce cultivator's right to part with their rop at the ex-factory price. In the background of all this, I wish to draw the hon. Minister's attention to this fact that this reasonable demand for minimum cane price announced by the Minister to be made the ex-field price is not appreciated or accepted by the Ministry on the ground that transport concessions have been announced by them. Where is the fun in announcing transport concessions and denying the demand of growers for the ex-field price

and saying that it shall be ex-factory price?

Further, the excise rebate announced from time to time, which is 30-50-30 per cent and which is worked out by the Director of Sugar works very drastically against the co-operative sector. There was a specific promise made by the Minister on the floor of the House that those factories which start production earlier on a specified date would positively get a rebate on excise duty. This was reiterated by Shri A. M. Thomas in Bombay when he was invited by the State Federation to a dinner. At the dinner, pleased with the reception, he reiterated the promise that all the factories which started crushing earlier would get an excise concession which was announced on the floor of the House. Now in the notification which has been issued, there is no such announcement.

Shri Inder J. Malhotra: Give him another dinner.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: In Delhi—very good.

What I am driving at is that solemn promises given on the floor of the House by the Ministry from time to time are not kept. On the contrary, the Director of Sugar works in a way that the high-ups in the Ministry are not in a position to control his activities. A drastic remedy is called for instead of the 25 nP. or marginal increase which has been the subject matter of this discussion.

There is another point. Even on the basis of present licensing capacity, it is impossible to achieve 33 lakh tons. The only possible way to achieve it would be to announce a minimum price of Rs. 2 for 9 per cent recovery, to announce a flat excise duty rebate, as was done earlier on the basis of average production, and to announce that as an incentive mills would be free to sell 25 per cent of their increased production in the open

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

market. These steps have proved successful in the past. The Director of Sugar refuses to take any of these steps. If these steps are not taken, it comes to this that the Ministry agrees that the sugar mill industry or particularly the private sugar mill interests should be supported at the cost of the interests of the cane growers, not only at the cost of the growers' interest, but at the cost of the interest of the consumers whose interests they pretend to protect.

That is why I say that if the consumers' interests are to be safeguarded, if the cultivators' interests are to be safeguarded, if the industry as a whole is to get incentive, the reasonable approach should be to fix Rs. 2 as minimum price for cane with 9 per cent. recovery without any discrimination.

I have expressed the view that the present discrimination will be unconstitutional and illegal. I humbly request the Ministry to consult the Law Ministry and Attorney-General on this issue. Let him get the opinion of our legal luminaries on this issue and place it on the Table. Let us know whether they also do not regard it as illegal and discriminatory. In an industry where every step which the Ministry takes is subject to critical scrutiny by all interests concerned, in a field where every step taken by the Ministry is challenged before the competent court—if the competent courts do not act as an adequate forum,—those decisions are challenged by *satyagrahas*, strikes and popular demands—the Ministry has to be careful in seeing that neither the interests of the consumers, nor the interests of the cane growers nor even the interests of the industry suffer. Therefore, I again appeal to the hon. Minister to consider this reasonable demand.

With regard to licensing, the present capacity is 28 lakhs tons. With this the Ministry expect to produce 3.3 million tons.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh): The licensed capacity is much more; it is 28.6 lakh tons. He is using strong language, which should be buttressed by good facts at any rate. He should be sure of his facts.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: I thought I said 28 lakh tons. I stand corrected.

They say that 5 lakh tons is the remaining capacity under the Third Plan. For this, there have been applications to the extent of 20 lakh tons and out of these, applications for 5 or 6 lakh tons are from the co-operative sector—the remaining are from the private sector. Under the plea of expansion of existing units, under the plea of making the so-called uneconomic units into economic ones, under the plea that it is likely to reduce the cost of manufacture—none of which is true—the Ministry seems to labour under the impression that the only alternative is to absorb these 5 lakh tons in the private sector.

Shri Swaran Singh: I would very strongly repudiate any such suggestion. I do not know wherefrom he has got all this information, because no licensing has been announced. I have told the hon. Member that, that is not my intention. Still if he persists in making such statements, it is my duty to point them out.

Mr. Chairman: The hon. Member should conclude now.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Vehement denials would have meaning if promises made were kept. Where what has been promised is denied, where what has been stated is subsequently corrected, where what has been stated is not followed, I think mere vehement denials will not go a long way. This is the definite apprehension of the co-operative sector which has got 1/4th of the licensed capacity, which is responsible for about 20–30 per cent of the production, that

it will suffer unless it is allotted the proposed capacity. Therefore, the Minister should state that out of the 5 lakh tons, only after licences have been given to the co-operative sector whether for expansion or for establishment of new units, will there be any licences considered for the private sector.

Mr. Chairman: Order, order. The hon. Member must conclude now....

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Therefore, I say....

Mr. Chairman: Order, order. He does not listen to me. When I am on my legs, he does not even give in.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: I was finishing my last sentence.

Mr. Chairman: He must definitely conclude in a minute.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: Therefore, I reiterate for the consideration of the Minister that a minimum of Rs. 2 should be given for cane for 9% recovery, the excise rebate to be meaningful should be given on the basis of average production uniformly and this 20-30-50% formula should be completely given up and if necessary, a fixed percentage—I suggest 25 per cent—of the increased production should be allowed to be sold in the open market.

Regarding raw sugar, where the performance of the co-operative sector has been *par excellent*, the Ministry recently called for tenders and insisted on payment for sugar meant for export at ex-factory price. To the cane grower who demands the ex-field price, the Ministry insists on ex-factory rates, where the industry demands the ex-dock rates for export, the Director of Sugar gives the ex-factory price. So I think the overheads on transport and this uneconomic working of export is not likely to help the industry. It is not likely to achieve

the requirements of foreign exchange earnings in slipshod manner. The hon. Minister may leave aside the strong words as they arise out of a genuine desire to protect the interest of the cane grower without affecting the industry or the consumer.

Shri M. S. Murti (Anakapalle): Mr. Chairman, I associate myself with the sentiments expressed by my friend, Shri Shivaji Rao Deshmukh. Three statements were made in this House by the hon. Minister. On the 8th September 1963, a statement has been made assuring a minimum price of Rs. 1.68 per maund. But there has been no increase in many of the factories. It was said that where there is competition between khandsari and gur the minimum price will be Rs. 1.75. That was not adhered to. Later on this price was increased to Rs. 2 as per the statement made on 19th November, 1963. Only 69 out of 200 and odd factories have given this Rs. 2 per maund. Again on 12th December, 1963 in this House the hon. Food and Agriculture Minister said that because of pressure from U.P. and Bihar Chief Ministers, the price of cane has been raised in those areas to Rs. 2 per maund. If there is similar pressure from others also, perhaps they would raise the price. The Andhra Government has written that in all the factories the price should be Rs. 2 because of competition with khandsari and gur. But only 6 factories out of 19 have given this. Not only that. Anakapalle is not giving this price but Chodavaram which is only 9 miles away gives Rs. 2. Sitanagaram has been allowed to pay whereas Bobbili, four miles away, has not been allowed. Similarly, Samalkot is allowed while Pithapuram only four miles away is not allowed. Is there any logic? Is this not discriminatory? If only similar pressure is brought will the Minister agree? I want a reply. The Ministry has not implemented its policies. I wrote to the Food and Agriculture Minister but they have not been good enough to reply to me. A memorandum signed by fifty Members has been

[Shri M. S. Murti]

sent for that also we did not get any acknowledgment.

I do not know whether the Directorate there implements the policies announced by the Minister here. When the Minister says that there should be 18 nP increase in price over last years, they consider the recovery formula. Whenever they get 1.68 nP they do not increase it by 18 nP. In gur khandsari competition areas, they say that the minimum must be Rs. 1.75 but there also recovery formula is brought in, but not floor prices. There should be a thorough enquiry as to why the policies are not implemented.

The cost of production of cane is not taken into consideration. In Maharashtra, the cane grows for 18 months. What will be the cost of watering, bamboos, labour at the agricultural wage rates? In Andhra also, bamboos and other things are used. Considering all this, a very low price has been fixed. The rebate to be given in respect of cane transported from fields of a certain distance to the factory has been reduced. These things must be set right so that the production could reach the 33 lakh ton figure from all these 28.6 tonnes capacity factories. Factories must be allowed to pay Rs. 2 uniformly irrespective of the recovery formula. They say by this formula the growers will get increased prices. But in effect the prices have been reduced as the floor price has been fixed at a lower rate than for factories in U.P. and Bihar. Mr. Deshmukh referred to the Defence of India Rules under that people are punished for producing more and for being more efficient. Can it be so anywhere else in the world? They are not rewarding efficient people, which is something peculiar. Proper incentives should be given and production will only then go up as expected by this Ministry.

Factories in the northern region are given a higher price than in the southern region. The rate should be uni-

form for all. I refer to sugar price. In Punjab, U.P. and Bihar the price per bag is Rs. 125—128 while for the southern region it is Rs. 115—117. I do not know why it is so in spite of the promise given by the ex-Minister, Shri S. K. Patil in Bombay that this has been mopped off. They say the Tariff Commission rates have been followed in fixing these prices. They gave this verdict in 1959 and conditions have changed much since then. It is ridiculous to apply the same rate after four years. Sugar prices in the southern region factories were not allowed to get the rebate advantage. There is a difference of 5 nP there. That should be allowed to the southern factories also so that there may be incentive to produce more.

14 hrs.

Mr. Chairman: Shri Ram Sevak Yadav. I would request hon. Members not to take too long a time for their speeches. There are a large number of Members who want to speak. But I think everybody can be accommodated if there is not much repetition.

श्री रामसेवक यादव: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने १२ दिसम्बर, १९६३ को गन्ने के मूल्य बढ़ाने के शिलसिले में जो घोषणा की, सब से पहले मैं उस की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने उस समय दो बातें कहीं—एक तो यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ गन्ने का मूल्य दो रुपये मन से कम है, वह मूल्य दो रुपये किया जाता है।

एक माननीय सदस्य: उस के लिए माननीय सदस्य को बधाई देनी चाहिए।

श्री राम सेवक यादव: उस के लिए बधाई। श्री: ज्यादा बधाई देने का मन चाहता है, अगर दूसरी बात को भी मंत्री महोदय पूरा कर दें। मैं ने उस दिन भी यह प्रश्न उठाया था, लेकिन उस की सफाई नहीं हुई। प्रश्न यह था कि जो दाम बढ़ाए जा रहे

हैं, वे उस तारीख से बढ़ेंगे, जिस दिन वह घोषणा हुई या जिस दिन से चीनी मिलें चलीं।

श्री स्वर्ण सिंह : वह मूल्य रेगुलेशन से दिया जायेगा।

श्री रामसेवक यादव : बहुत सुन्दर। मंत्री महोदय ने इसे साफ कर दिया। इस लिए मैं उन का शुक्राञ्जलि हूँ और उन को बधाई देता हूँ।

इस मिलानिले में एक दूसरी बात रह जाती है। यह सदन, सरकार और मंत्री महोदय, सब कहते हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़ाया जाये और चीनी का उत्पादन तभी बढ़ेगा, जब कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाये। बिना गन्ने के अगर चीनी मिलें चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहें, तो वह सम्भव नहीं है। इस लिए जो प्रश्न सब से पहले खाद्य मंत्री महोदय के दिमाग में आना चाहिए, वह यह है कि मन्ना-उत्पादक को यह विश्वास हो कि दामों का सम्बन्ध में उस को न्याय मिलेगा, उस का लागत-खर्च मिलेगा और कुछ मुनाफा भी मिलेगा, जिससे वह अपने जीवन को चला सके। अगर मंत्री महोदय इस बात का ध्यान नहीं रखते, तो चाहे वह कितनी अभिलाषा रखें कि चीनी का उत्पादन बढ़ जाये, उस अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

उस घोषणा में मंत्री महोदय ने डर की यह तलवार भी लटका दी कि दो रुपये मन का भाव केवल इस समय के लिए किया जाता है, लेकिन यह हरगिज न समझा जाये कि वह भाव आगे भी रहेगा, उस की घोषणा शायद बाद में होगी। इस घोषणा के कारण हमेशा यह भय रहेगा कि दाम गिर भी सकता है और उस का असर अगले वर्ष में गन्ने के क्षेत्र पर और उस की तरफ़ी पर पड़ सकता है। इस लिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिस तरह उन्होंने यह घोषणा की है कि यह दो रुपये की बढ़ोतरी शुरू मौसम से है, जब से चीनी मिलें चलीं, उसी तरह उन को यह भी साफ़ घोषणा करनी चाहिए कि अगले वर्ष 1880 (A) LSD—4.

भी गन्ने का दाम दो रुपये मन से नीचे नहीं जायेगा, वह बढ़ भले ही जाये। अगर यह घोषणा साफ़ तौर से की जाती है, तो आने वाले वर्ष में चीनी के उत्पादन में वृद्धि लाजिमी तौर से हो जायेगी।

मैं आप के जरिये मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि गन्ने और चीनी के दाम को ले कर इस देश में एक पुराना सिद्धान्त चला आ रहा था। जब हम गन्ने के दाम की बात करते हैं, तो सरकार की तरफ़ से या कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों की तरफ़ से बड़ी आसानी से एक तर्क यह दिया जाता है कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाया जायेगा, तो चीनी का दाम अपने आप बढ़ जायेगा। लेकिन मैं यह नहीं चाहता। जब मैं गन्ने के दाम को बढ़ाने की बात करता हूँ, तो उस के साथ साथ मैं एक नियम और सिद्धान्त भी देना चाहता हूँ कि चीनी और गन्ने के दामों में एक नियत और एक रिश्ता कायम किया जाये—वह रिश्ता इस देश में चल भी रहा था—और वह यह था कि जितने रुपये मन चीनी बिकती थी, उतने ही आने मन गन्ना बिकता था। इस से गन्ने के उत्पादकों को भी नुकसान नहीं होता था, चीनी बनाने वाले कारखानों को भी इस से कभी नुकसान नहीं हुआ और चीनी की खपत करने वालों, उपभोक्ताओं, को भी कभी नुकसान नहीं हुआ।

उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि १९४८-४९ के करीब इस देश में गन्ने का भाव पीने दो रुपये मन, दो रुपये मन, सवा दो रुपये मन और ढाई रुपये मन भी चला और कंट्रोल से चीनी नौ आने सेर तक बिकी।

14.05 hrs.

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

लेकिन उस के बाद हम ने देखा कि १९५१-५२ में चीनी का दाम लगातार चढ़ता गया और गन्ने का दाम बराबर गिरता गया। कारखानेदारों की तरफ़ से यह दलील

[श्री गम मेवक यादव]

दी जा सकती है कि कई तरह के टैकम बंद गए हैं, जिस से चीनी का दाम बढ़ाना लाजिमी हो गया है। यह मैं उन सालों का जिक्र कर रहा हूँ, जब शीरे, मैनी और खोई आदि बाई-प्राइवट्स का इस्तेमाल चीनी मिलें किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर पाती थीं और इस कारण ये चीजें बहुत सस्ती बिकती थीं। लेकिन अब तो इन बाई-प्राइवट्स से वे काफ़ी मुनाफ़ा कमा रही हैं और इस लिए वह तर्क भी नहीं चल सकता है।

इस लिए मेरा निवेदन यह है कि किसान गन्ने का दाम सहर्ष दो रुपये मन देने के लिए तैयार है। उसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू है चीनी के दाम का। चीनी का दाम ३२ रुपये मन से अधिक न हो। अगर कर का तर्क दिया जाये, तो मैं एक और सिद्धान्त बता दूँ। मैं मंत्री महोदय और सरकार से यह निवेदन करूँगा कि बिन्दगी की जरूरी चीजों के मूल्य निर्धारित करते समय यह सिद्धान्त माना जाना चाहिए कि किसान के कच्चे माल के दाम, लागत-खर्च और उस पर मुनाफा दे कर ही मूल्य निर्धारित किये जायें। इसी तरह से कारखाने में बनी चीजों के दाम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि उपभोक्ताओं के पास चीजें सस्ते दामों पर पहुँचें और इस लिए उन चीजों के दाम लागत-खर्च के डेढ़ गुने से आगे न बढ़ने पायें। अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाये, तो यह समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है। कर का नियम भी इन्हीं दो नियमों में बंध जाये, इस में बाहर न जाये।

जहां तक रिक्वरी वाले सिद्धान्त का प्रश्न है, इस से तो हमेशा किसान को नुकसान होगा। इस से किसान को फ़ायदा तो होने वाला ही नहीं है। रिक्वरी के सिद्धान्त से तो केवल मिल-मालिकों को ही फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि जिस तरह का इस देश में वातावरण है—भ्रष्टाचार है और

भ्रष्टाचार शुरू से ले कर आखिर तक पहुँच गया है—उस में इस बात का अन्दाज़ा कौन लगाता है कि कारखानों में रिक्वरी क्या होती है, किस तरह का गन्ना जाता है, कौन पंच होंगे, किस की देख-रेख में यह कार्य होगा, ये सब ऐसी बातें हैं, जिन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है और नतीजा यह होता है कि किसान हमेशा नुकसान उठाता है।

जब से रिक्वरी का सिद्धान्त चला, जो आंकड़े सामने आते हैं उन से मालूम होता है कि रिक्वरी कम होती है और किसानों को नुकसान होता है। लेकिन जब यह सिद्धान्त नहीं था और चीनी का दाम कायदे कानून के हिसाब से आज़ के मुकाबले में कम था और गन्ने का दाम आज़ के मुकाबले में ज्यादा था तब भी चीनी मिलें फ़ायदा उठाती थीं, तब भी उन का नुकसान नहीं होता था। रिक्वरी का सिद्धान्त लागू होने के बाद किसानों को संतोष दिलाने के लिये कहा जाता है कि जब रिक्वरी ज्यादा बढ़ जायेगी, तो उन को उस का मुनाफ़ा मिलेगा, लेकिन असल में रिक्वरी बढ़ नहीं पाती है, उस का लाभ नहीं होता है।

इस लिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूँगा कि अगर यह सिधांत चलेगा कि जितने आने मन गन्ना, उतने रुपये मन चीनी तो उस से किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि जब गन्ने के क्षेत्र में उस की पैदावर बढ़ेगी, उस का वज़न बढ़ेगा, तो उस से किसानों को भी मुनाफ़ा मिलेगा। इस से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। उस सिद्धान्त को लाभ करना चाहिये, क्योंकि वह सिद्धान्त सार्वजनिक हित में है, जब कि रिक्वरी वाला सिद्धान्त सार्वजनिक हित में, किसानों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में न हो कर केवल मिल-मालिकों के हित में है।

६ सितम्बर, १९६३ को मंत्री महोदय ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के बारे में घोषणा की थी और उसमें उन्होंने पचास, पचास प्रतिशत और बीस प्रतिशत एक्साइज की तीन तरह

की छूट का एलान किया था और यह भी कहा था कि उस छूट का लाभ किसान को मिलेगा। कोल्हू और खंडसारी के जो कुटीर उद्योग हैं, धरेलू उद्योग हैं, उनको पनपाने का बत हम ने लिया है — कम से कम उस सरकार ने तो भ्रवश्य लिया है, जो अपने आप को समाजवादी कहती है। उन पर रोक लगाना और प्रतिबन्ध लगाना समाजवादी सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है। उस एलान में मंत्री महोदय ने साफ घोषणा की थी कि उन का हरादा कोल्हू पर रोक लगाने का नहीं है, क्योंकि लोग उस का विरोध करेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का हवाला दिया था। लेकिन होता क्या है? अभी आज मुझे मालूम हुआ कि उस कानून के तहत जो अधिकांश केन्द्रीय सरकार ने डेलीगेट किये थे, उन का उपयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी घोषणायें की हैं, कुछ ऐसे कानून बना डाले हैं, जो कि घोषित नीति के बिल्कुल विपरीत हैं। फैंटरी के अलावा जो उन का क्षेत्र होता है, जहां भी गन्ना है, उस को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है। मैं मिसाल देना चाहता हूँ। फर्रुखाबाद में एक न्यूनी चीनी मिल है। उसके अन्तर्गत ऐसे इलाके भी शामिल कर दिए गए हैं, कि जहां पहले ड़ाई तीन लाख मन गन्ना मिल को जाता था, अब पचास लाख मन गन्ना उस इलाके का इसके अन्तर्गत दे दिया गया है। कौन कौन से गांव हैं, यह क्लियर नहीं है। जान बूझ कर ऐसा किया गया है ताकि कोई जिम्मेदार न बन जाए। इस तरह से वहां पर एक प्रकार से गुड़ खण्डसारी आदि पर प्रतिबन्ध लग गया है। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। यह खुला खण्डसारी पर प्रतिबन्ध है, जबकि मंत्री महोदय ने साफ घोषणा की है कि उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा। यह सारी चीजें चल रही हैं इस तरह से खण्डसारी पर जो प्रतिबन्ध लग गया है, गुड़ पर लग गया है, इसको हटाया जाए।

यह घोषणा भी की गई है कि गुड़ बाहर नहीं भेजा जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बताया जाय कि इस का लाभ कौन लोग उठा रहे हैं और कौन लोग उठावेंगे। इस का नतीजा क्या हो रहा है। इस को भी आप देखें। उस के दाम गिर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इस का लाभ उपभोक्ता को मिल जाता है तो भी आप गलती पर हैं। सस्ते गुड़ का फायदा बीच का आदमी उठा लेता है। वह स्टोक करेगा और जब फिर दरवाजा खूल जायेगा और बाहर भेजने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाएगा तो वह बड़े हुए दामों पर इस को बेचेगा। इस का नतीजा यह होगा कि न तो उपभोक्ता को फायदा इस का मिलेगा और न ही किसान को, बीच वाला आदमी ही इस का लाभ उठायेगा। उपभोक्ता भी इस में पिसता है और पैदा करने वाला भी। बिना किसी मेहनत के स्ट्रेबाजी के जरिये ज्यादा से ज्यादा मूनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। और एक नकली लड़ाई खड़ी कर दी जाती है। किसान और उपभोक्ता के बीच में। उपभोक्ता को कह दिया जाता है कि किसान दाम बढ़ा रहा है और किसान को दला दिया जाता है कि उपभोक्ता हल्ला खा रहा है, इसलिये इस तरह से जो बीच का आदमी होता है, दम्पान का आदमी होता है, जो कोई मेहनत नहीं करता है, जो किसान को भी चूसता है और उपभोक्ता को भी, वह ही इस का लाभ उठाता है। इस प्रतिबन्ध से बहुत नुकसान हुआ है। अण्टाचार भी बहुत फैल गया है। आप उत्तर प्रदेश की सरहद पर जायें जहां पर सत्याग्रह चल रहा है। वह अगर लायेंगे तो पकड़े जायेंगे। जेल में बन्द कर दिये जायेंगे। लेकिन सरकारी मशीनरी, पुलिस, इन्प्लोई विभाग ये सब मिल कर के साहूकारों के जरिये उत्तर प्रदेश का गुड़ पंजाब में भी जाने देते हैं। दिल्ली भी आता है, राजस्थान में भी जाता है, मध्य प्रदेश में भी जाता है। इस तरह से जो अण्टाचार चल रहा है, उसे सरकार रोक नहीं पा रही है। यमूना के नीचे बहुत सा पानी बह गया है। काफी बातें मंत्री महोदय

[श्री राम सेवक यादव]

के सामने आ चुकी हैं। गवर्नमेंट को तथा उन को चाहिये कि वे इन से सबक लें। इस तरह का जो प्रतिबन्ध है, उस को समाप्त किया जाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सारी चीजों के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा अपने जवाब में करें।

श्री सिहासन सिंह (गोरखपुर) : चीनी और ऊब्र हमारे देश के लिये आज से नहीं गहुन दिनों से कठिन समस्या बनी हुई है। सरकार ज्यों ज्यों इस समस्या को गुलज्राने का प्रयत्न करती है, त्यों त्यों यह समस्या उलझती जाती है। पता नहीं किन का दोष है, काश्तकार का है, मिल मालिक का है। सरकार की मशीनरी भी

श्री इन्द्रजीत लाल महेश्वरी : खाने वाले का दोष है।

श्री सिहासन सिंह : उमोक्ता तो बना बनाई चीज पाता है, उस का दोष नहीं हो सकता है। सरकार का या किसान का या मिल मालिक का ही हो सकता है। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। बड़ी इंडस्ट्री के मुकाबले अगर छोटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले और इस से समझा जाय कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ सकता है तो यह गुड़ कंट्रोल और यह जो चीनी के आवागमन पर कंट्रोल रखा गया है कि उत्तर प्रदेश आदि से बाहर नहीं जा सकता है, तो यह तो बड़ी मिलों के हित में ही लगाया गया है, चीनी पैदा ज्यादा मात्रा में करने के लिये लगाया गया है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि गुड़ भर भर कर बाहर जाता है, कोई रोक नहीं है। गवर्नमेंट, जो उस की वर्तमान मशीनरी है, उस से मेरे स्थान में इस पर रोक लगाने में सफल नहीं हो सकेगी। गुड़ को बाहर जाने से रोक देने का परिणाम यह होता है कि हम कदम कदम पर जहां जहां रोक लगे हुई है रपयों की बिलियां खुलती हैं और वह अधिकारी लोग ले जाते

हैं। लखनऊ की प्रसेम्बली में भी गांजे के स्मगलिंग का एक सवाल चला हुआ है

स्वाध तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : उस का इस से क्या सम्बन्ध हो गया ?

श्री सिंह:स न सिंह : मैं उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि रोक अगर लगाई जाती है तो उस का क्या परिणाम निकलता है। भ्रष्टाचार की गाड़ी इस तरह से चलती है। स्मगलिंग चाहे जिस पैमाने पर हो, छंटे पर हो या बड़े पर हो, चलता है। गुड़ का भी स्मगलिंग चलता है।

मेरे विचार में पिछले दो बरस में इसी सरकार ने गुड़ और खंडसारी की बड़ोतरी के लिए लाखों रुपये लोगों को इमदाद के रूप में दिये, गांव गांव में कोल्हू खुलवाये और खण्डसारी मिलें खाली चीनी बनाने के लिए। उस के लिए लाइसेंस दिये जाने लगे। बुला बुला कर दिये जाने लगे। एक बरस के बाद यह हुआ कि बंद करो, बंद करो और इतनी मिलें न बनें। चीनी की पैदावार पर ऊब्र ही कीमत नुर्दर की गई। उस का परिणाम क्या हुआ ? काश्तकार ने पारसाल क्या किया ? सरकार ने कह दिया, पारसाल कि दस परसेंट गवर्नमेंट जिम्मा नहीं लेती पेरने का। काश्तकार ने घबरा कर कम बोया। जिम्मा सरकार ने कहा कह दिया कि नहीं लेती है हालांकि सारा पेरना भी गया पर सारा पेरने का जिम्मा न लेने की वजह से लोगों ने कहा कि हम जितना चाहेंगे बोयेंगे। उन्होंने ने कम बोया। भगवान की भी कृपा हुई, पैदावार भी कम हुई। परिणाम यह हुआ कि गतवर्ष चीनी की भी पैदावार कम हो गई। हमारी गलत नीति के कारण चीनी की पैदावार में कमी हुई। चीनी की पैदावार करने के लिए हम ने उल्टी नीति निर्धारित की। हम ने कहा कि गुड़ नहीं बनेगा, खण्डसारी की चीनी नहीं बनेगी, मिलों में चीनी बनेगी। हर मौके पर और हर साध

हमारी नीति बदलती रहती है। इस का परिणाम यह होता है कि वे लोग जो ऊब पैदा करते हैं, वे इस को समझ नहीं पाते हैं और उन को पता नहीं लग पाता है कि क्या होगा।

कुछ दिन हुए मंत्री महोदय ने दो रुपये का भाव बड़ी दृढ़तापूर्वक पूर्वी उत्तर प्रदेश की सब मिलों के लिए तथा उत्तर बिहार की सब मिलों के लिए निर्धारित किया है। इस को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई और यह बहुत ही उदार कदम उन्होंने ने उठाया है। लेकिन घोषणा के साथ साथ यह भी घोषणा हुई है कि यह नीति आगे भी जारी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता है, यह तो केवल इस बरस के लिए है, आगे क्या होगा, उस की जनवरी में घोषणा होगी। अब काश्तकार समझता है कि पता नहीं दो रुपया रहेगा, डेढ़ रुपया हो जायेगा, क्या भाव होगा क्या नहीं होगा। इसलिये वह अनिश्चय की स्थिति में है, दुविधा में पड़ा हुआ है। उस को पता नहीं चल रहा है कि वह क्या करे और क्या न करे, क्या कदम उठाये, क्या न उठाये। दो रुपये के आधार पर बोरे, एक रुपया बारह आने के आधार पर बोये या रिकवरी के आधार पर बोये।

मिलों की रिकवरी के आधार को आज गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है और कहा हुआ है कि उस पर ईब की कीमत मुकर्रर करेंगे। शायद बहुत ही कम माननीय सदस्यों ने इस आधार को माना होगा। अगर आप अलग अलग आंकड़े आधार मानते हैं और व्यवस्था कर देते हैं भिन्न भिन्न मिलों में और वह भी रिकवरी के आधार तो क्या यह हर एक काश्तकार के लिए अलग अलग लागू होना सम्भव है? यह सम्भव नहीं है। हाँता यह है कि गत वर्ष किस मिल की कितनी रिकवरी रही, उस के आधार पर इस वर्ष में कीमत

मिलेगी, कितनी रिकवरी इस वर्ष है, इस पर नहीं। गत वर्ष की रिकवरी के आधार पर कीमत मिलनी है। यह फार्मूला अपने स्थान पर सही नहीं साबित हुआ है। कुछ नीति हमारी ठीक बननी चाहिये ताकि हम समझ सकें, काश्तकार समझ सके कि हम जब ऊब बोयें तो किस आधार पर बोयें, किस विश्वास पर बोयें। हमें गन्ना मिलों को देना पड़ेगा, गुड़ बनाने के लिये दे सकेंगे, खण्डसारी बनाने के लिए दे सकेंगे या किस के लिए हम अपनी ऊब को दे सकेंगे। उचित तो यह था कि जहाँ मिल और खण्डसारी और गुड़ का मुकाबला होता है, वहाँ गुड़ को प्रोत्साहन मिलता गुड़ अधिक से अधिक पैदा होता और गुड़ पर कोई भी किसी किस्म की रोक न होती। गुड़ पर रोक का परिणाम क्या हो रहा है इस का लाभ किन को मिल रहा है? गुड़ पैदा करने वालों को लाभ नहीं जा रहा है। यह जो मिडल मैन है, यह बीच का धादमी जब मंडियों में जाता है तो कहता है कि गुड़ पर रोक लगी हुई है इसलिये मैं गुड़ नहीं खरीदूंगा। काश्तकार तो गुड़ बनाता है। अगर वह मंडी में ले जाये तो वहाँ से वापस नहीं ला सकता है। मंडी वाले कहते हैं कि इस भाव से तो मैं गुड़ नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट मुझे परमिट देगी तब तो मैं गुड़ महाराष्ट्र, पंजाब और सौराष्ट्र भेजूंगा। इसलिये अगर तुम चाहो तो १० २० मन में रख दो। काश्तकार लाखों मन गुड़ स्टोर नहीं कर सकता। यहाँ पर सरकार ने बेयरहाउसिंग ऐक्ट बनाया और कहा कि ऐसी जगह बेयरहाउसिंग बनायें जायेंगे जहाँ काश्तकार अपना गुड़ जमा कर सकेगा। लेकिन कहाँ बने। शायद कहीं मंडियों के पास एक आध जगह बनाया गया हो लेकिन उस का लाभ काश्तकारों को नहीं मिलता है। आज भी वे मंडियों के खरीदारों के हाथों में हैं। वे ले लेते हैं फिर चाहे वे गुड़ को स्मगल कर के बेचें या रोक कर बेचें। उन के पास बैंक हैं, उन के पास और तरीके हैं, जिन से फायदा उठाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से यह कहना है कि

[श्री सिंहासन सिंह]

जहां कहीं बड़ी इंडस्ट्रीज और छोटी इंडस्ट्रीज का मुकाबला हो सरकार किसी भी छोटी इंडस्ट्री का गला न घोटें, उन को प्रोत्साहन दें। उन के रान्ने में वह रुकावट न डालें।

इस के बाद चीनी और ईख का भाव जो है उस को देखिये। पुराने जमाने में मिल मालिक चीनी के भाव से ईख का मूल्य दिया करता था। कहता था कि जितना चीनी का भाव है उस में से गवर्नमेंट का जो टैक्स है उस को निकाल कर चीनी के मूल्य का सोलहवां हिस्सा काश्तकार को दिया जायेगा। वह काश्तकार को रुपये में एक आना ईख की कीमत के रूप में देता था। चीनी के भाव में गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है जो कि आज बहुत बड़ी हुई है। मान लीजिये कि आज चीनी का भाव ४० रु० है उस में से १२ रु० गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी निकल गई तो इस तरह से चीनी का भाव २८ रु० बैठता है। यानी काश्तकार को एक मन के ऊपर १ रु० १२ आने ईख का दाम मिलेगा। अगर चीनी का भाव ४० रु० बैठता है एक्साइज को निकाल कर तो किसान का दाम ढाई रुपया मन हो जायेगा। काश्तकार समझ सकता था इस चीज को कि चीनी का जो भाव होगा उस के आधार पर उस को ईख का दाम मिलेगा अगर रिकवरी के आधार पर उस को दाम मिलेगा तो यह उस की समझ में नहीं आता है।

मैं आप को एक मिसाल दे कर अपना भाषण बन्द करना चाहता हूँ। एक दफे इस सरकार ने नियत किया था कि मिल वाले १ अप्रैल की तारीख के बाद जो ईख परेगे उस ईख की रिकवरी उन की कीमत का आधार माना जायेगा। आप जा कर पता लगायें कि गोरखपुर में इस के सम्बन्ध में क्या किया गया। उस वक्त का जो नियम था उस के अनुसार १ अप्रैल के बाद मिल वालों ने

जो ईख पेरी उस में २० अप्रैल का तां रिकवरी थी ६ या १०, लेकिन १ या २ मई को जो ईख उन्होंने पेरी उस की रिकवरी दिखलाई ८ या ७। इस तरह से काश्तकारों को ईख की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। मिल वाले मैनपुलेट कर सकते हैं, ग्रन्डर वेमेंट करा सकते हैं। इस लिये रिकवरी के आधार पर ईख की कीमत देने का अनुरोध नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये।

Shri Vasudevan Nair (Ambalapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to associate myself with all the sentiments expressed by the Hon. Member who has initiated this discussion. But, Sir, it seems the hon. Minister is a little perturbed by the strong language used by him. The Minister has to put up with it.

Shri Swaran Singh: You need not have that fear. I am objective enough.

Shri Vasudevan Nair: The point is, we feel that.....

Shri Swaran Singh: I took the liberty because he is a member of my party. All that I said is: "If you use strong language it should be buttressed by sound facts".

Shri Vasudevan Nair: Even though I am in the Opposition, I would have liked to use a much milder language.....

Shri Swaran Singh: I do not object if you use strong language.

Shri Vasudevan Nair:because we really want to give a chance to the new Minister to see how he functions. But I would like to say that from the short experience that we have, it has not given us much hope.

On this particular question, I want to say that the Ministry could have taken this step with grace. I am very glad that the cultivators in eastern U.P. and northern Bihar have benefited or are going to benefit by this price of Rs. 2 per maund of sugarcane. But, Sir, I find absolutely no logic, no reason, no argument, in denying the same benefit to the cultivators in the other parts of the country. I will even go further and say that the Government has decided to burn its fingers by adopting such an irrational policy, because I am sure the Government will not be in a position to put forward any worthwhile argument to justify this discrimination.

As some hon. Members have pointed out, if the reason is that there was a lot of agitation and pressure, that too pressure from governmental quarters, in those States, then, Sir, it is not very difficult to have these things from the other States also. If, perhaps, the Government thinks that there is not enough agitation in the other States, of course, agitation will be there, campaigns will be there. If the Government thinks that those other State Governments are, perhaps, for the time being, sleeping over the matter, of course, it is possible to wake them up. So, the Government ought not to have waited for the people to rise up, for the cultivators in the other areas to get agitated.

The fact is that they are very much worried over the whole question. I happen to represent a constituency in my State where we have got a large number of cane growers. During the last ten to fifteen years, we were told by the cultivators, it was very difficult for them to make both ends meet. You know, Sir, sugarcane cultivation is a hazardous cultivation compared to many other crops. This is a more difficult cultivation. The crop has to be on the land for nearly one full year or at least ten months and unless the cultivator takes great care to look after it, to nourish it, to tender it

he will not get anything back from the field. Even some of the best cultivators from the State of Madras, where they cultivate it quite well—some of the Members of Parliament are cultivators—were telling me that on an average per acre the cost of cultivation is something between Rs. 1500 and Rs. 1800. They are some of the best cultivators—of course, the yield is also very good. My friend—he is not here now—Shri Anandan Nambiar was telling me...

Dr. Ram Subhag Singh: Is he also a cultivator?

Shri Vasudevan Nair: He is not a cultivator himself but in the rural areas of his district, Trichinopoly, they grow sugarcane very well. Of course, they are able to get something between 40 tons to 45 tons per acre and it is a very good yield compared to the average yield in our country. But even in spite of this good yield, what the cultivator ultimately gets, according to the price fixed at present, is at the most Rs. 1800 per acre if one spends nearly Rs. 1500 to Rs. 1800 per acre. What is the meaning in continuing this cultivation if after investing so much for fertiliser itself they generally invest nearly Rs. 500 per acre—there is no margin left? So, Sir, there is a very strong case for the sugarcane cultivator to get a better deal at the hands of the Government and at the hands of the mills.

It is really painful to see that during the last ten to twelve years the cultivator was treated very badly by the Government and the millowners. We are told that in 1951-52 the price of sugarcane used to be Rs. 1.75 per maund. What was done afterwards? It was to cut down this price from Rs. 1.75 to Rs. 1.31, and during the last ten or twelve years there was so much of fluctuation in the price of sugarcane—going up by a few naye paise or coming down by a few naye paise. But ultimately we come to this position that in 1951-52 the cultivator was getting Rs. 1.75 per maund and today

[Shri Vasudevan Nair]

also, even after the recent statement of the Minister the cultivator in our parts of the country are going to get Rs. 1.75 per maund. So he remains where he was in 1951-52. Can the Minister advance any valid argument to convince us that he is really giving a fair deal to the cultivator?

During the last ten or twelve years, we all know that the prices have gone up. Although the cultivator lives in the countryside, his own needs have gone up and the cost of cultivation has gone up very much. I would like the Government to go into that matter in detail. I would like to know whether the Tariff Commission had taken pains to estimate the cost of cultivation in the various parts of the country. If they had made that estimate, a real estimate of the cost of cultivation, then I am sure they would have recommended a better deal to the cultivator. And meanwhile the price of cane remains at Rs. 1.75, at the 1951-52 level.

What has happened to the price of sugar? There again, our sugar barons, the mill-owners should not have any grudge of the Government. They are always looked after—fortunate people in our country. As in every other sector, in the field of sugar production also the Government is kind enough and takes enough care as far as they are concerned. If you consider the 1952-53 base as 100 as far as sugar price is concerned, on November 2, 1963 it has gone up to 214.7. That is, more than hundred per cent increase was allowed in the price of sugar; and the Tariff Commission was so considerate that they themselves recommended that the mill-owners should get at least 12 per cent profit. Now, in a country like India, if there is a Tariff Commission which takes so much pains as to recommend that the cane grower should get only what he used to get in 1951-52 while the mill-owners should get at least a profit of 12 per cent, then it is something very strange.

And then there are the middlemen, the selling agents and various other agencies. And these middlemen at each stage are getting at least 3 to 4 per cent of their own profit. All this accumulation of profit by the mill-owner and the middleman has to be at the expense of the cultivator as well as the consumer.

About the plight of the consumer I need not say much. That is our own experience in this country. Fortunately, for a person like me or my friend Shri Thomas it is not a problem, because under medical advice we are rejecting sugar for some time now, and because of that our tongue may be a bit bitter! But we know the plight of the ordinary man in the country as a consumer.

So the result is that we have faulty planning, and the Government, especially the Food and Agriculture Ministry has been bungling in this matter all these years. We thought that perhaps after the criticisms that were levelled against the Food and Agriculture Ministry during the last so many years, Shri Swaran Singh will take up the matter in all seriousness and perhaps end this chapter of bungling. But I am sorry to say that he is only continuing in the foot-path of his predecessor. If Government decides to go in the same path, I am sure that this policy will only give rise to large-scale discontent among the cultivators and among the consumers in this country.

So I would request the Government to consider this matter seriously and at least announce that Rs. 2 per maund will be the cane price throughout the country. And I would also request Government to appoint a committee to study the whole problem to assess what is the real cost of cultivation of sugarcane in this country and then come before this Parliament and the country with a co-ordinated and rational policy on the question of price

of sugar, price of sugarcane and profits for the sugar industry.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Deorao S. Patil.

Shri Yashpal Singh (Kairana): Some cane-grower may be given a chance, Sir.

Shri K. N. Pande (Hata): One is here.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Patil,

श्री दे० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की कीमत के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा जी वक्तव्य दिया गया है, मेरी इच्छा उसकी चर्चा में भाग लेने की नहीं थी। लेकिन जब मैंने कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुने तो मेरा विचार भी आपके सामने कुछ सुझाव रखने का हो गया।

जब मैं पालियामेंट में आया तो शुरू में मैं ने आज के खाद्य तथा कृषि मंत्री के बारे में एक छोटा सा वक्तव्य दिया था और वह यह था कि श्री स्वर्ण सिंह जी ने योग्य प्रशासक की कीर्ती पायी है, वह पक्षपाती नहीं हैं, वह हर एक बात में अपना दिल डालते हैं, जब वह किसी निर्णय पर आते हैं तो बहुत सोच विचार कर ऐसा करते हैं। उस वक्त वह रेलवे मंत्री थे। लेकिन आज खाद्य मंत्री होने से उनका विचार बदल गया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।

कृषि मूल्य नीति को ग्लानिंग कमीशन ने निर्धारित किया है। उसने यह बताया है कि अगर खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना है तो उनका मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि दो राज्यों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में, गन्ने की कीमत में पक्षपात था। एक भाग में दो रुपया मिनिमम प्राइस थी और दूसरे भाग में उससे कम थी। माननीय मंत्री महोदय ने इसको सोचा था और उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न भागों में जो यह गन्ने की कीमत में पक्षपात था उसको दूर करने की कोशिश

की, और उन्होंने इन दोनों राज्यों के हर एक जिले के लिए दो रुपए कि मिनिमम प्राइस कर दी, और उससे भी अच्छा यह किया कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। इसका यह कारण दिया गया है कि इन राज्यों में गुड़ और खंडसारी का बड़ा कम्पटीशन था। मेरा सुझाव है कि यदि अन्य प्रांतों में भी यह परिस्थिति हो तो उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

मैंने दो तीन भाषण सुने और मेरी यह राय बनी है कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का पक्षपात चल रहा है। आन्ध्र की महारानी सदस्या ने एक उदाहरण दिया कि एक फैक्टरी पर २ रुपया का भाव मिलता है और दूसरी पर जो उससे ६ मील दूर है दो रुपया मिनिमम प्राइस नहीं मिलती। वहां भी गुड़ और खंडसारी का कम्पटीशन है। वही हालत महाराष्ट्र और मसूर में है। मेरा सुझाव है कि जहां जहां ऐसी परिस्थिति है उसकी जांच की जानी चाहिए और उस परिस्थिति के अनुसार वहां दो रुपए की मिनिमम प्राइस निश्चित कर देनी चाहिए।

मेरे बाजू के एक माननीय सदस्य ने बताया है कि यू० पी० और बिहार के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उस के लिए सरकार पर बहुत प्रेशर डाला गया था और इस सवाल को जनता ने उठाया था, गन्ना पैदा करने वालों ने उठाया था—बयोंकि जब तक कोई कच्चा माल नहीं पैदा होता है, तब तक पक्का माल नहीं बन सकता है—सब पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं ने उठाया था, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोशिश की और इस बारे में प्रेशर डाला। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट प्रेशर से झुक कर कोई काम करती है। उम को करना भी नहीं चाहिए। अगर प्रेशर से कोई काम होता है और हर एक स्टेट को यह बात मालूम हो गई, तो कई दूसरी स्टेट्स भी यह तरीका अपनायेगी। इस

[श्री दे० शि० पाटिल]

लिए इस विषय में असमानता हुई है या नहीं और अलग अलग स्टेट्स और रिजर्व्स में पक्षपात हुआ है या नहीं, यह एक गम्भीर सवाल है। यह गम्भीर सवाल आगे चल कर बहुत खतरा पैदा कर सकता है। इस लिए जल्दी से जल्दी इस के बारे में एन्ववायरी कर के यह असमानता दूर करनी चाहिए।

इस बारे में जो मेमोरेण्डम दिया गया, जो नोटिस दिया गया, उस पर जिन माननीय सदस्यों ने दस्तख्त किये, उन में यू०पी० और बिहार के माननीय सदस्य भी शामिल हैं। इस हाउस के हर एक माननीय सदस्य की यह राय थी कि गन्ने का मिनिमम भाँख दो रुपये मन निर्धारित किया जाये। उन का यह कभी नहीं कहना था कि यह भाव केवल यू०पी० और बिहार में लागू हो और दूसरी जगह लागू न हो। उन की युनैनिमस राय थी कि जहाँ जहाँ गन्ना पैदा होता है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी रिजन और जिला हो, वहाँ गन्ने का दाम दो रुपये मन होना चाहिए और उन में कोई डिस्ट्रिक्ट-मिनेशन नहीं रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाने के लिए ही बहुत से माननीय सदस्यों ने दस्तख्त कर के नोटिस दिया है। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह माननीय मंत्री जी ने यू०पी० और बिहार के बारे में इस सवाल पर जल्दी विचार कर के ध्यान दिया है, उसी तरह वह दूसरी जगहों के बारे में भी जल्दी से जल्दी ध्यान देंगे।

जहाँ तक कृषि-उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, प्लानिंग कमीशन ने यह नीति निर्धारित की है कि अच्छा माल अच्छी क्वालिटी का माल पैदा किया जाये। लेकिन जब लोग अच्छी क्वालिटी पैदा करते हैं, तो उन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और उस माल के ठीक दाम नहीं दिये जाते हैं। इस स्थिति में तो कोई भी अच्छा माल पैदा नहीं होगा। जहाँ तक काटन टैक्स्टाइल का

प्रश्न है, जेरिला, कमांडिया आदि अलग अलग तरह के लांग स्टेपल काटन हैं, लेकिन हर एक जगह उन का भाव एक जैसा मिलता है। वहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि बिहार और यू०पी० में अलग भाव है और दूसरे स्थानों पर अलग भाव है। भाव कम है या ज्यादा, वह एक अलग बात है, लेकिन क्वालिटी मुकर्रर करने के बाद किसी प्रान्त से डिस्ट्रिक्टमिनेशन नहीं होता है। परन्तु गन्ने के सम्बन्ध में यह बात दिखाई देती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री दे० शि० पाटिल : मैंने दो तीन बातें बतानी हैं, इस लिए मैं दो मिनट और लेना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री दे० शि० पाटिल : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

मैं हायर रिकवरी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन समय कम होने के कारण उस पर नहीं बोलूंगा। मैं कास्ट आफ प्रोडक्शन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कृषकों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि प्लानिंग कमीशन ने पिछले पन्द्रह सालों में इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। इस बारे में यहाँ पर चर्चा हुई, लेकिन किसी चीज को पैदा करने के लिए कृषक को कितना खर्च करना पड़ता है, इस पर प्लानिंग कमीशन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस ने इस बारे में अभी तक कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की। शासन ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरा आरोप यह है कि प्लानिंग कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट कृषि-

बायस्ड नहीं हैं। यह आरोप मैं जिम्मेदारी से लगाता हूँ। कास्ट आफ़ प्राइवशन के बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। जब तक उस पर विचार नहीं किया जायेगा, तब तक कृषि-उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह, से यह आशा थी कि वह किसानों की कुछ इमदाद करेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी इमदाद की—जितनी उम्मीद थी, उस का सोवां हिस्सा की। जरूरत इस बात की थी कि वह आगे बढ़ कर इनिशेटिव लें और बतायें कि काश्तकार के साथ आज कितना अत्याचार हो रहा है। यहां से अगर सरकार तीन रुपये मन भी भाव कर देगी, तो भी उस का कोई नतीजा नहीं होगा, जब तक कि मिल-मालिकों को कंट्रोल नहीं किया जायेगा। आप एक बाल्टी में दूध भरते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप के एक गुस्ताख नौकर ने उस में एक मुराख कर दिया है, तो उस बाल्टी में दूध नहीं ठहर सकेगा।

सरकार ने दो तीन रुपये मन भाव कर दिया। लेकिन मिल-मालिक क्या चालाकी करते हैं? पहली चालाकी वे यह करते हैं कि वे काश्तकार से ट्रांसपोर्ट चार्जिज काटते हैं। काश्तकार बेचारा अपना माल लाता है, आठ मील आता है और आठ मील जाता है, रात को सर्दी में रहता है, और कई कई घंटे वर्क में गुजारता है। लेकिन फिर भी उस से ट्रांसपोर्ट चार्जिज काटे जायें, यह कहां का इन्साफ़ है? यू०पी० में चार आने ट्रांसपोर्ट चार्जिज है।

दूसरी चालाकी मिल-मालिक यह करते हैं कि रिकवरी का इंसट डाल कर काश्तकार को तंग और परेशान करते हैं। खतौली मिल सकौती मिल, मन्सूरपुर मिल और देवबंद मिल, ये मिलें बीस पच्चीस मील के दायरे में हैं, लेकिन एक मिल-मालिक रिकवरी के हिसाब से १५७ रुपया देता है, दूसरा

१७४ रुपये देता है और तीसरा १६६ रुपये देता है। इस चालाकी को खत्म किया जाये। जब गेहूं कपास, धान, चावल में रिकवरी का सिद्धान्त नहीं रखा गया है, जब किसी भी ऐंसेंशल कामोडिटी में रिकवरी का सिद्धान्त नहीं रखा गया है, तो फिर यह सिद्धान्त गन्ने पर हरगिज नहीं लागू करना चाहिए।

किसान की दिक्कत को समझा जाये। किसान की सब से बड़ी दिक्कत यह है कि मिल-मालिक जब जी चाहे, उस को बेवकूफ बना लेते हैं। जब जी चाहे, वे रिकवरी का नाम ले कर बीस नये पैसे काट लेते हैं और जब जी चाहे ट्रांसपोर्ट चार्जिज का नाम ले कर पच्चीस नये पैसे काट लेते हैं। इस धांधलेबाजी को खत्म किया जाये।

आज जब कि आंध्र प्रदेश में गूड का भाव ७५ रुपये मन हो गया है, जब कि दिल्ली में सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर, जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, २३ रुपये मन गूड खरीद कर ५७ रुपये मन के हिसाब से बेच सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि काश्तकार को उसका मूभावजा न दिया जाये। मैं उस एरिया से आता हूँ, जो हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ना पैदा करता है। मैं खूद भी एक छोटा सा किसान हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे यहां तो २३ रुपये मन गूड है, लेकिन हमसे दो मील आगे जाकर वही गूड ४५ रुपये मन के हिसाब से बेजा जाता है। और फिर कहते हैं कि राष्ट्र में इन्टेग्रिटी कायम हो रही है। राष्ट्र में इन्टेग्रिटी कायम नहीं हो रही है, बल्कि राष्ट्र में अलग अलग धड़े बना कर, अलग अलग सीमायें बना कर राष्ट्र को बांटा जा रहा है, देश की इन्टेग्रिटी को खत्म किया जा रहा है।

आपके द्वारा सरकार से मेरा अनुरोध है कि सब से पहली रिकवरी के इंसट को खत्म किया जाये। आज जो गूड काश्तकार पैदा करता है, उसकी कीमत हर जगह एक होनी चाहिए—ज्यादा से ज्यादा दो रुपये

[श्री यशपाल सिंह]

मन का फर्क हो। जो प्राइवेट केन क्लर लगाने वाले हैं, वे किसान के घर पर जाकर पीने तीन रुपये मन का पेमेंट करते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि सरकार ढाई रुपये मन का पेमेंट न करे। अगर सरकार ढाई रुपये मन का पेमेंट करेगी, तो काश्तकार अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा। अकाल पड़ा, फलडूज आए, तुगियानियां आई और सब फसलें नष्ट हो गईं। सिर्फ़ गन्ना बचा। यन्त्रे के साथ दिक्कत क्या है? गन्ना पैदा करने वाला जो किसान है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन में। केन डिब्रैलेपमेंट बोर्ड का चेयरमैन किस को बनाते हैं। आई० सी० एस० कलैक्टर को बनाते हैं जिसको चालीस साल से लोगों के साथ नफ़रत करना सिखाया गया है, लूक डाउन अपान करना सिखाया गया है, यही तालीम बचपन से दी गई है, जब से वह करोड़पति के घराने में पैदा हुआ है, उस दिन से लेकर बीस साल तक जिसको यही तालीम दी गई है। उसको बताया गया है कि काले आदमी से मिलोगे तो प्रेस्टीज गिर जायेगा, बेवक्त मिलोगे तो इज्जत का कोई स्टैंडर्ड बाकी नहीं रहेगा। मैं एक मिसाल आपको बतलाना चाहता हूँ। यह सही चीज़ है। किसान आए एक कलैक्टर के पास साठ सत्तर की तादाद में। उन्होंने उन से कहा कि पन्द्रह मील तक एक दाना नहीं बचा है, भोला इतना पड़ा है कि सब फसल खराब हो गई है, आप हमारे साथ चल कर देखिये। आई० सी० एस० अफसर ने कहा कि तुम बगैर एक्वाइन्टमेंट आ गए हो, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिनको लूक डाउन अपान करना सिखाया गया है, किसानों से मिलोगे तो इज्जत कम हो जाएगी, यह सिखाया गया है, उनके हाथ में वह महकमा हो, तो किस तरह से किसान की हालत में सुधार हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि सब से पहले किसान के रिप्रेजेंटेटिव का केन के डिब्रैलेपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए।

दूसरी बात यह है कि किसान की हालत को अगर सुधारना है तो सारे हिन्दुस्तान में कम से कम ढाई रुपये मन गन्ने का भाव किया जाए।

अब मैं फटिलाइजर की बात कहता हूँ। आज कहा जाता है कि किसान का राज है, डेमोक्रेसी है। हमारी सरकार ने अभी पिछले सत्र में यह माना था कि सरकार दो सौ रुपये फी टन के हिसाब से अमरीका से फटिलाइजर खरीदती है और उसी फटिलाइजर को सरकार अग्रे को साढ़े चार सौ रुपये फी टन के हिसाब से बेचती है। इस तरह से सरकार एक टन के पीछे ढाई सौ रुपये दलाली खाती है। यह भी कृषि मंत्री ने माना है कि इस हिसाब से साढ़े पांच करोड़ रुपये सालाना सरकार को किसान और अमरीका से मंगाये गये फटिलाइजर के बीच में फायदा हो जाता है। यह मूनाफ़ाखोरी गरीब किसान से की जाती है। एक तरफ़ सरकार दिल्ली के धनिकों को, दिल्ली के धनी मानी व्यक्तियों को, दिल्ली के सरमायेदारों को दूध पिलाने के लिए साढ़े सात लाख रुपये साल का नुकसान उठाती है दिल्ली मिल्क स्कीम में और दूसरी तरफ़ किसान को फटिलाइजर देने में सरकार साढ़े पांच करोड़ रुपये बीच में मूनाफ़ाखोरी करती है। इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है। इस तरह से किसान की आँखों में धूल नहीं झाँकी जा सकती है। हमारे दोनों मंत्री किसान के बेटे हैं, किसान के दुःख दर्द को समझते हैं, उसकी तकलीफ़ को समझते हैं। लेकिन जिस निज़ाम के मातहत वे काम कर रहे हैं, जो यह सोकाल्ड सोशलिस्ट स्टेट है, यह सिर्फ़ नाम मात्र को है। जब एक मिल मालिक का डूबम है, टाटा का डूबम है कि चार लाख रुपये रोज़ाना बैंक में जमा करो, तो दूसरी तरफ़ किसान इतना मजबूर है कि उसका साढ़े आठ लाख रुपये जो चार साल से मिल मालिकों की तरफ़ बाकी पड़ा है, वसूल नहीं हो रहा है। यह हालत

निजाम है जिसके मातहत यह काम काम रहे हैं। आज किसान का अगर सोलह मील चलने के बाद, अपने बैजों को भुखा प्यासा रखने के बाद, अपने बच्चों को बरफ में भेजने के बाद, ठण्ड में भेजने के बाद साढ़े आठ लाख रुपया बाकी है तो कौन सा वक्त आएगा जब कि काश्तकार की मिल मालिकों के चंगूल से रिहाई के लिए, उसको राहत दिलाने के लिए, हमारे मंत्रीगण काम करेंगे। उनके अन्दर किसान के लिए दर्द है लेकिन जिस निजाम के मातहत वे काम कर रहे हैं, वह निजाम शूलत है, वह निजाम इनको काम नहीं करने देता है। इनकी आत्मा विद्रोह भी करती है, लेकिन अपनी पार्टी की खातिर इनका अपने उम विद्रोह को दबा देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि अगर आज यह सब कुछ नहीं हो सकता है तो कभी नहीं हो सकता है। किसान के दाँव बँटे हुए हैं। काश्तकार का ये राहून नहीं दे पाते हैं तो फिर कौन दे पाएगा। मुझे आप साफ कहने दीजिये :

किससे फिर शिकवए बेदाद करें ग्रहले चमन ;

चाक कलियों के जिगर को जो बहारा कर दे ?

अगर आप इमदाद नहीं कर सकते तो कोई इमदाद नहीं कर सकता है। मेरी सरकार से साग्रह, सानुरोध यह प्रार्थना है कि सरकार गन्ने की कीमत के सवाल को जरा पब्लिक में भेजे। "ला इव नॉथिंग बट दी विल आफ दी पीपल एम्प्लैस्ट इट टर्म्स आफ ला।" कानून कोई नहीं है, कानून जनता की राय है। ४४ करोड़ इन्सानों में गन्ने के मामले को आप भेजें और देखें कि वे डाई रुपये की मांग करते हैं या नहीं करते हैं और अगर वे यह मांग नहीं करेंगे तो हमें आप बोलने का अधिकार न दीजिये। साथ ही साथ वह रिक्वरी सिस्टम को खत्म कर दिया जाना चाहिये और जो ट्रान्स्पॉर्ट चार्जिज हैं, वे काश्तकार से नहीं लिये जाने चाहिये।

श्री काशीनाथ पांडे : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने और चीनी के सवाल पर इस सदन में कई बार बहस हुई चुकी है। चीनी की आज हालत ऐसी है कि इमने चारों ओर लोगों के दिलों में चिन्ता पैदा कर दी है। अभी तो फिट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन इनके बन्द होने के बाद जय चीनी की कमी नजर आएगी, उसके बाद हालात क्या होंगे, इसका आप देखें।

मैंने अभी दो माननीय सदस्यों को मुना है। उन्होंने कहा है कि भेद पैदा किया गया है नई घोषणा दामों के सिलसिले में जो की गई है उससे। मैं समझता हूँ कि अगर यह मिडियन्ट समझ लिया जाए कि नहीं है तो इस प्रकार की कई बातें पहले हो चुकी हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भेद पैदा किया गया है। जो घोषणा मंत्री महोदय ने की है, उसके पीछे कुछ तर्क रहा है। और जब इस प्रकार की घोषणा हुई है तब तब उसमें कुछ न कुछ तर्क रहा है। इस बार की घोषणा के पीछे भी कुछ तर्क है उसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ।

हमारे यू० पी० और बिहार के भाइयों ने लिखित रूप में एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें उन्होंने दो रुपये मन गन्ने के दाम की मांग की थी और कहा था कि वह दाम हर क्षेत्र में होना चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उत्तर भारत में दो रुपये मन गन्ने का दाम है लेकिन बम्बई में फिर भी दो रुपये बीस नए पैसे मन गन्ने का भाव है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : उसका परसेंटेज क्या है ?

श्री काशीनाथ पांडे : वह भी मैं आपको बताता हूँ। १९५४ और १९५५ के सीजन में जब फि लिजिंग फर्मुता नहीं था, उस समय गन्ने का दाम हिन्दुस्तान के और हिस्सों में एक रुपया मान आने मन या और उस समय इस सिद्धान्त को स्वीकार किया

[श्री काशीनाथ पांडे]

गया था कि बम्बई में दस परसेंट गन्ने का दाम ज्यादा होना चाहिये। मेरा ख्याल है कि ग्राज की जो घोषणा हुई है, उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। मैं नहीं कहता कि उनको गन्ने का दाम पूरा मिल रहा है या दाम उनका बढ़ाना नहीं चाहिये। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिद्धान्त खाद्य विभाग ने सन् १९५४ में स्वीकार किया, ग्राज भी वही सिद्धान्त इस दाम के सिलसिले में लागू है। चूँकि दो रुपये मन उत्तर प्रदेश और बिहार में है तो उसका दस परसेंट बीस नया पैसे हुआ और वहाँ कीमत दो रुपये बीस नया पैसे ग्राज मिल रहा है। आप और मांगें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

बावजूद इसके कि दो रुपये मन गन्ने का दाम हो गया है, मुझे शिकायत मिली है जहाँ तक ईस्टर्न यू० पी० का ताल्लुक है या बिहार का ताल्लुक है, कि वहाँ पर गुड़ और खण्डमारी उतने ज़ोर से नहीं बन रही है। वहाँ लोगों ने उतने ज़ोर से गुड़ बनाना शुरू किया है। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का ताल्लुक है, वहाँ पर गुड़ और तेजी पर घा गया है। कुछ तो कंट्रोल की वजह से २२ रुपये मन गुड़ के दाम हो गए थे। लेकिन आज गुड़ के दाम २७ और २८ रुपये मन हैं, बावजूद इसके कि इतनी सन्धिया हो रही है, फिर भी इतना भाव तेज हो गया है। ग्राज जो गुड़ किसान बना रहा है, कुछ लोग जिनको आप शापकीपर कहते हैं, मर्चेंट कहते हैं, वे गुड़ को कम भाव पर रख लेंगे और बाद में जब फँबिट्रिया बन्द होगी, तब मसमाने भाव पर बेचेंगे। यह इस बात का प्रतीक है कि गन्ने की कमी है।

हमको बहुत ही गम्भीरता के साथ सब प्रश्नों पर विचार करना होगा। मैं देखता हूँ कि सभी लोग इस बात से चिन्तित

है कि देश में खाद्य की कमी हो रही है। जो कुछ भी गन्ने का भाव हो, हमको देखना होगा कि गन्ने की खेती में किस प्रकार वृद्धि हुई है, एकड़ की वृद्धि तमाम हिन्दुस्तान में किस प्रकार हुई है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको भी चिन्ता दूर बगैर नहीं रहेगी। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि गन्ने के दाम इतने आकर्षित लोगों को करें कि सभी गेहूँ और चावल बोना छोड़ दें और उसके बाद हिन्दुस्तान में हर जगह हाहाकार मच जाए। बम्बई में जहाँ सन् १९५३ में १ लाख ८६ हजार एकड़ में गन्ना बोया जाता था वहाँ आज ३ लाख २९ हजार एकड़ में गन्ना बोया जाता है। और भी फिगर्स मैं आप को बतला रहा हूँ।

श्री शिवाजी राव शं० वेशमुखः जिस वक्त गन्ना १० परसेन्ट कीमत ज्यादा थी, उस वक्त

श्री काशीनाथ पांडे: आप फँबट में मुझे चैलेन्ज नहीं कर सकते। बाकी आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मद्रास की बात मैं आप को बतलाता हूँ। वहाँ सन् १९५२-५३ में ८० हजार एकड़ में गन्ने की खेती होती थी, लेकिन आज १ लाख ७७ हजार एकड़ में गन्ने की खेती हो रही है। इसी प्रकार से आप पंजाब में देखिये। पंजाब में ३ लाख ७१ हजार एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती थी सन् १९५२-५३ में, आज वहाँ पर ६ लाख ६८ हजार एकड़ में गन्ने की खेती होती है। इसी तरह से आप यू० पी० की बात देखिये। उस में पहले २६ लाख ८८ हजार एकड़ जमीन में गन्ने की खेती होती थी वहाँ पर आज ३३ लाख ८३ हजार एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस में कोई सन्देह नहीं है कि किसान भी ऐसी फसल चाहता है जिस से वह अपनी पैसे की जरूरत पूरी कर सके। लेकिन मैं आप के नोटिस में साना चाहता हूँ और यह

चीज बहुत चिन्ता भी पैदा करनी है, कि आखिर एक हद्द होगी जहां तक हम गन्ने की खेती कर सकते हैं या जितनी हम धानगे उस को बढ़ा सकते हैं। अगर यह हालत रही तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह बढ़ रही है उस तरह से दिक्कत बढ़ती ही चली जायेगी।

मैं धांप को खाद्य के बारे में भी बतलाना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य: गन्ना पूरे देश में कितना होता है और सीरियल्स कितने होते हैं यह भी तो बतलाइये।

श्री काशीनाथ पांडे: वह भी मैं धांप को बतलाता मगर इतना समय मेरे पास नहीं है। अगर धांप समय दें तो वह भी बतला सकता हूँ।

जहां तक फूडगेन्स का सवाल है, उसको भी धांप देखिये। मैं महाराष्ट्र को लेता हूँ। सन् १९५७-५८ में जो आल इंडिया का प्रोडक्शन था उस का महाराष्ट्र में ६.६ परसेन्ट होता था लेकिन वही सन् १९६१-६२ में ७.७ परसेन्ट हो गया। इसी तरह से मद्रास में जहां सन् १९५७-५८ में आल इंडिया प्रोडक्शन का ७.२ परसेन्ट होता था वहां सन् १९६१-६२ में ६.८ परसेन्ट हो गया, मैसूर में सन् १९५७-५८ में ५.९ परसेन्ट होता था वहां सन् १९६१-६२ में ५ परसेन्ट हुआ। इसी तरह से यू० पी० में देखिये। वहां पापुलेशन बढ़ रही है। सन् १९५७-५८ में वहां पर आल इंडिया फूड प्रोडक्शन का १७.७ हुआ करता था और सन् १९६१-६२ में भी वही १७.७ परसेन्ट हुआ। विहार में देख लीजिये कि जहां सन १९५७-५८ में ६.२ परसेन्ट होता था वहां ८.८ परसेन्ट है। इस लिये मैं धांप से बतलाना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर धांप को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे नये खाद्य मंत्री ने ऐसे समय में यह पद सम्भाला जिस समय स्थिति ऐसी थी कि शायद इस से बढ़िया कोई इन्तजाम वह नहीं कर सकते थे क्योंकि सब से ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि गन्ना ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, फ़ैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो। मैं धांप के सामने यह सवाल रखता हूँ। मेरे सामने भी एक बड़ी भारी समस्या है और वह यह कि हमारे देश में दो लाख घादमी शुगर इंडस्ट्री में काम करते हैं। पिछले वर्ष जो यहां पर एम्प्लायमेंट पोलीशन थी वह करीब करीब घाधी हो गई थी और आज हालत जो हो रही है उस को धांप जानते ही हैं। अगर यह कैफियत बहुत देर तक चलती रही तो शायद एक बड़ी भारी क्राइसिस आ जाये एम्प्लाय-मेंट को ले केर। दूसरा खतरा भी है। हम ने पहले यह देखा है कि एक मर्तवा धांप दाम बढ़ा देते हैं और फिर घटाने का प्रश्न आता है। जैसा धांप ने कहा, उत्तर भारत के लिये जो धांप ने गन्ने का दाम बढ़ाया है वह टेम्पोरेरी है, हो सकता है कि धांप इस में कोई चेन्ज करें, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर धांप ने गन्ने के दाम प्राकल्पक नहीं रखे तो लोगों के लिये उस का पैदा करना सम्भव नहीं होगा और शायद ही धांप को दूसरे सीजन में गन्ना मिले। इस लिये धांप को सब जोन्स का विचार करने का वाद गन्ने का दाम तय करना चाहिये और वह दाम उचित होना चाहिये। मैं इस विचार से इत्फ़ाक करता हूँ, लेकिन साथ ही बतला देना चाहता हूँ, जहां ३३ हजार टन चीनी में से धांप ने १५ हजार टन चीनी का कोटा केवल यू० पी० के लिये तय किया है वहां धांप को यह भी देखना पड़ेगा कि दाम ऐसा प्राकल्पक हो ताकि गन्ना मिलों में जाये और धांप के लिये चीनी पैदा हो सके।

जिस प्रकार गुड़ का कम्पटीशन धांप के सामने है उसी तरह से धांप को तय करना

[श्री काशनाथ पांडे]

पड़ेगा कि पिछले साल चीनी की जितनी प्रोडक्शन हुई थी उसके ऊपर जो हो उसे प्रोपन मार्केट में बिकने को छोड़ दिया जाये ताकि जितनी डिमान्ड किसान की हो उतना फैंक्ट्री वाले दें। इस वक़्त किसानों के गन्ने के बोआई के समय दाम घटाने से बोआई घट जायेगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल बड़ी भारी फ़ाइसिस आयेगी।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब यह घोषणा कर दी कि केवल यू० पी० और बिहार में ही २ रु० मन तक गन्ने का भाव बढ़ा दिया गया है और बाकी स्टेट्स में नहीं बढ़ाया गया है तो मध्य प्रदेश में इस के बारे में बड़ी हलचल हो गई।

एक माननीय सदस्य : वहां कितनी फैक्ट्रियां हैं।

श्री बड़े : पांच हैं। और गुड़ के ऊपर कंट्रोल लगा दिया है। मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर, जहां मैं रहता हूँ, खान्देश है। वहां बड़ी हलचल हो गई। वहां की जनता का यह कहना है कि यहां पर यू० पी० और बिहार के मिनिस्टर होने के कारण उन का वजन ज्यादा पड़ता है और पार्लियामेंट में यू० पी० और बिहार के मेम्बर ज्यादा होने से यह भाव ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं। इस प्रकार की लोगों की टीका है। हो सकता है कि यह टीका गलत होगी, और मैं उस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहना केवल यह है कि मध्य प्रदेश

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): In Madhya Pradesh, all the factories are getting Rs. 2.

श्री बड़े : मैं आप को बतलाता हूँ कि उस में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में जहां गुड़ के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया है वहां पर फैंक्ट्री वाले गन्ने के दाम १० आने और १२ आ० मन के

हिसाब से देते हैं, यह कह कर कि गन्ना जिस प्रकार का चाहिये उस प्रकार का नहीं है। इस तरह से होता यह है कि किसी जगह १० और १२ आ० मन गन्ने का दाम दिया जाता है और कहीं पर वह भी बराबर नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ गन्ने के प्रोड्यूस करने में मध्य प्रदेश के किसान का क्या खर्च आता है इस को भी शासन ने नहीं देखा है। आप ने सिर्फ यह देखा है कि फैंक्ट्रीज का क्या खर्च पड़ता है क्योंकि चीनी बनाने वाली फैंक्ट्रीज के लोग आप के पास हैं, फैंक्ट्रीज के आंकड़े देने वाले लोग आप के पास हैं लेकिन २० मिलियन कल्टिवेटर्स जो इस धन्धे में हैं हिन्दुस्तान में, अगर उन की कोई आर्गनाइज्ड संस्था होगी तो केवल यू० पी० में होगी या शायद थोड़ी सी बिहार में होगी। अगर महाराष्ट्र में होगी तो वहां की आवाज श्री देशमुख ने आप के सामने रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में केन प्रोमर्स की कोई आर्गनाइज्ड इंडस्ट्री न होने से उन की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के एक ही मिनिस्टर हैं, अगर वह कुछ कहते हों तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि इस प्रकार से

डा० राम सुभग सिंह : आप आ जाइये।

श्री बड़े : मैं खुशी से आता लेकिन आप मुझे लेंगे नहीं। तो मेरा कहना यह है कि फारेन एक्स्चेन्ज को पाने के वास्ते आप ने फैंक्ट्रीज को ज्यादा सहूलियतें दीं, लेकिन आप ने केन प्रोमर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप ने देखा नहीं कि आज काश्तकार को फटिलाइजर किस भाव पर मिलती है, फैंक्ट्रीज से खेत कितनी दूर हैं और उस को लाने पर क्या खर्च पड़ता है। जो मंहगाई है उस के हिसाब से क्या आप ने गन्ने का दाम बढ़ाया है। टैरिफ़ कमिशन ने जिस प्रकार कहा कि उस की उन्नति करनी है उसी प्रकार से आप ने भाव बढ़ा दिया। लेकिन बाकी बातें आप के साम

नहीं हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि आप के पास कृषि मूल्य की नीति नहीं है। कृषि मूल्य नीति जब तक आप के सामने नहीं है, काश्तकार का खर्च कितना आता है इस के आंकड़े जब तक आप के पास नहीं हैं, सैम्पल सर्वे नहीं है, तब तक आप के सामने एक ही स्टेट की आवाज आती है, और आप ने उन का भाव बढ़ा दिया है, बाकी केन प्रोग्रस के लिये नहीं बढ़ाया। इस लिये आज लोगों में अशांति है, केन प्रोग्रस में आशांति है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वहां पर २ रु० मन दिया जाता है। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या जावरा का भाव आप के पास है, दूसरी मिलों के, महेन्द्रपुर रोड के भाव आप के पास हैं? मैं वहां से भाव लाया हूँ। वहां पर गन्ने के लिये १० और १२ आ० से ज्यादा दाम नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, काश्तकारों को जो चर्खी रहती है वहां भी उन्हें बैठना पड़ता है, आठ आठ रोज तक वहां ठहरना पड़ता है तब कहीं तोल होती है। इतनी बातें होने के बाद भी मध्य प्रदेश के बारे में आप ने कुछ नहीं किया और केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के भावों को बढ़ा दिया। यह क्यों बढ़ाया गया है।

एक माननीय सबरस्य : आप के यहां भी बढ़ाया गया है, वहां दो रुपया मन दिया जाता है।

श्री बड़े : मैं पूछता हूँ कि महेन्द्रपुर रोड में यह भाव मिलता है। मैं चैलेन्ज करता हूँ। जैसा आप का कहना है, उत्तर प्रदेश के काश्तकार मुख्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के काश्तकार जो के केन गोअस हैं, जो गन्ना बोते हैं, यदि उन की परिस्थिति आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा। गुड़ के बारे में उन्होंने जो लिखा है उस को आप देखिये। बाहर से गुड़ उन को लाना नहीं चाहिये, यदि उन्होंने १० एकड़ में गन्ना बोया है और उस में इतने मन गन्ना हुआ, तो इतना गुड़ बनाना है, बाकी का नहीं बनाना है। इस प्रकार से इतना इंटरफरेंस शासन का होता है कि काश्तकार

तंग आ गया है और कहना है कि अग्रेज चने गए तो ये काले साहब आ गए और हमारे ऊपर कंट्रोल का बोझ डाल दिया है।

इसके अतिरिक्त काश्तकार अधिकांश अनपढ़ हैं, वे ठीक से हिसाब नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर आकर उनसे हिसाब मांगता है कि कितना गन्ना हुआ आदि। इसमें उनको कठिनाई होती है। इसके बाद उसको फौटरी तक गन्ना ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि हमारे यहां सड़कें नहीं हैं जैसी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। वहां तो देहात में जीप से भी जाना कठिन होता है। हमारे काटजू साहब तो कहते हैं कि जिसको धूल फांक कर बीमार पड़ना हो वह खानदेश का दौरा करने आवे। हमारे यहां नो जंगल है। जब कोई मेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी वहां दौरा करना है तो बीमार पड़ जाता है। किसानों को अपना गन्ना फौटरी तक ले जाने में दो दो तीन तीन घाट उतरने पड़ते हैं और इसमें उनका बहुत खर्चा होता है, इसको नहीं जोड़ा जाता और पुराना भाव उनको दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि अगर मध्य प्रदेश में भी आप लोगों को २ रुपए मन का भाव नहीं देंगे तो वहां असंतोष होगा।

हमारे यहां कहावत है कि कुम्हार का देवता बातों से नहीं मानता लातों से मानता है। अगर सरकार मध्य प्रदेश के किसानों का गन्ने का उचित मूल्य नहीं देगी तो मोर्चे होंगे, भूख हड़तालें होंगी और मंत्री महोदय तक हम डेपुटेशन भी लावेंगे। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि मध्य प्रदेश यहां से बहुत दूर है, आने में तीन दिन लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह स्थिति न आवे। जो भाव आपने बिहार और उत्तर प्रदेश में दिया है वही हमारे यहां भी दिया जाए। साथ साथ इस बात का भी सैम्पल सर्वे किया जाए कि मध्य प्रदेश में गन्ना ढोने में काश्तकारों को कितना खर्चा पड़ता है।

Shri D. D. Puri (Kaithal): Mr. Deputy-Speaker, I found it extremely difficult to follow any part of the speech of the speaker who preceded me. In Madhya Pradesh he says cane growers get 10-12 annas per maund in some parts. I dare say that there is no grower anywhere in India who does not make much more than twice the amount suggested by him, be it that the cane is changed into gur or khandsari or sold to factories. I do not know whether the place he has in mind is outside India.

I welcome the hon. Minister's statement of the 12th instant as far as it goes and it goes fairly far. In one or two respects, however, the statement has been a disappointment. At the tail end the hon. Minister says: "I would not like hon. Members to get the impression that the Government is committed to maintain the present level of cane prices." Is it seriously suggested by the hon. Food Minister that the sugar situation is going to ease between now and 1st November, 1964? If they think so, they are under a serious illusion. The sugar situation will not become stable until we have at least five lakh tons of sugar as a cushion stock. For the next 12 months we have an international commitment to export three lakh tons of sugar, whatever we may or may not produce. I do not want to sound pessimistic but in all responsibility I think between now and the 1st of November, the sugar situation for the consumer is likely to continue to be at least as bad as it is today and it will neither be sound nor intrinsically correct nor even possible to reduce cane prices below their present level. Then, why do you not make an announcement now that at least for the next season the price will not be below what it is today; the cane for the next season is going to be sown shortly after now. You will inevitably have to pay this price next year; yet you are frightening the grower and scaring him away from putting more area under cane which alone will solve

your problem. The present is the only way of paying the maximum price and deriving the minimum benefit from him. That is to say, paying Rs. 2 this year that too by instalments in certain areas, certain other areas have certain other rates—leaving it uncertain whether the grower will get the same price next year. I go a step further and say that if you are serious about producing 4 or 4.5 million tons of sugar in this country, you will have to maintain the price level at Rs. 2 a maund as the minimum and also linking price to recovery. Even now it is not too late; sowing is shortly going to start and the Minister should make an unequivocal statement for the next season at any rate that the price will not be lower than what it is today.

I am against discrimination between certain areas and others. I have stated repeatedly that Rs. 2 a maund is the minimum price and 9 per cent recovery alone will solve the problem. There is no short cut to it. We played with this problem far too long. In certain other aspects too there is discrimination. Certain zones produce sugar at Rs. 8-9 per quintal, lower than in certain other areas. Under the control system the price paid to these areas is Rs. 8-9 above those paid in other areas. I want to go on record against discrimination in the matter of price of cane but also in the matter of controlled prices of sugar in this country.

Now, what happens to the consumer? It is admitted that 66 per cent of our country's cane goes into gur and khandsari. Today the prices of gur and khandsari, at their lowest, are 100 per cent above the price last year. True, a large part of this price does not go to the grower but to the middleman. But the consumer of khandsari and gur surplus areas pays between 25—30 per maund in the surplus areas to Rs. 70—80 in some deficit areas and on account of the interstate restriction.

Therefore, I respectfully suggest that this discrimination should be removed as between one part and another part of the country, in all aspects, be it the price of cane or the profit allowed to be retained by the sugar industry, etc. Sugar is one of the most controlled industries in the country. All parts of the country should be treated without any discrimination whatsoever.

I shall make one or two observations about what the hon. Member from Saharanpur spoke. He delivered a tirade. I could not follow whether he was speaking on this motion or anything else. I could not particularly follow his criticism with regard to the formula according to which the cane price is to be paid on the percentage of recovery. He said that it does not apply in the case of wheat or rice. I respectfully submit that in every agricultural commodity as in every other commodity price is paid on quality, whether it is wheat or rice or anything else. After all, when the grower sells his cane, it is the sugar in the cane that he sells, apart from everything else which is only trash, literally and metaphysically. Therefore, like everything else, the price that is paid for cane should continue to be paid on the quality basis.

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के १२ दिसम्बर के भाषण की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिस में उन्होंने कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव दो रुपये मन किया तो जा रहा है, लेकिन इस पर फिर विचार होगा और विचार करने के बाद क्या रेट निश्चित किया जायेगा, वह नैकस्ट ग्रोइंग मीज़न, अग्रगं बॉने के टाइम पर बताया जायेगा। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने उस वक्त शूगरकेन की प्राइस दो रुपये मन इस लिये तय की थी कि चूँकि पश्चिमी जिलों में गुड़ और खांड-

सारी के ज्यादा बनने से पश्चिमी जिलों में तो मिलों ने दो रुपये मन भाव तय किया था और पूर्वी जिलों में सरकार ने भाव कम किया हुआ था। मैं आप के द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि किसान अगर किसी तरह से दो चार रुपये, या सी रुपये, अपनी खेती से पैदा करना चाहता हो, तो उस के बीच में हमारी सरकार क्यों रोड़ा बन जाया करती है।

मैं आप को बता रहा हूँ कि दो रुपये मन का भाव तय करना क्यों लाजिमी है। आप को याद होगा कि १९६२ के मार्च में गन्ना सूख गया और पैरा नहीं गया। मेरे सामने एग्रोकल्चर की एक रिपोर्ट है, जिस में लिखा है कि मई, १९६३ तक इस देश में २०.८३ लाख मेट्रिक टन शूगर थी, जब कि पिछले साल उस समय तक २६.५४ लाख मेट्रिक टन शूगर का प्रोडक्शन हुआ था। इसी तरह आप देखें कि मई, १९६३ में दो मिलें चल रही थीं, जब कि १९६२ में ४० मिलें चल रही थीं। सरकार के पास १ मई, १९६३ तक १४.९४ लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक था, जब कि पिछले साल उस समय तक २४.३० लाख मेट्रिक टन चीनी का स्टॉक था। अगर हम इन आंकड़ों को देखें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गन्ने का भाव दो रुपये मन कुछ ज्यादा नहीं है।

मेरे पास टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट मौजूद है, जिस में फिक्सेशन आफ प्राइस के बारे में कुछ आंकड़े दिये गए हैं। प्राइस आफ केन : १६.८५, टोटल कन्वर्शन चा-जिज, कमिशन, सैस, एक्सट्राडिज ड्यूटी ५.६५, कास्ट आफ मेनुफैक्चर : २२.५०, सैलिंग एक्सपेंसिज : .०४, एनवाइज ड्यूटी : १०.७०, रिटर्न : .२०६, जिस का टोटल ३५.३० रुपये होता है, जो कि फेयर सैलिंग प्राइस है। यह फिगर १९५७-५८ की है जब कि रिकवरी परमेंटेज ६.८६ है। १९५८-५९ की फेयर सैलिंग प्राइस

[श्री विश्राम प्रसाद]

३६.४३ रुपये है, जब कि रिकवरी परसें-टेज ६.६२ है। अगर इस में गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन के हिसाब से जोड़ दी जायें, तो सब कुछ मिला कर चीनी का दाम ४३ रुपये पड़ता है, जब कि आज चीनी मार्केट में ४७.६८ रुपये फी मन के हिसाब से बिक रही है। इस वक्त सरकार १०.७० रुपये और २.०६ रुपये चार्ज करती है। अगर किसान को ढाई रुपये मन गन्ने की कीमत दी जाये, तब भी सरकार को मिलने वाली रकम में कोई कमी नहीं होगी।

लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह किसान की इंडस्ट्री से ही ३३ परसेंट मुनाफा लेती है या हिन्दुस्तान की किसी और इंडस्ट्री से भी ३३ परसेंट मुनाफा लेती है। गन्ना ही एक ऐसी फसल है, जिस में से किसान को दो चार रुपये, या सौ रुपये, मिल जाते हैं। उस में से ३३ परसेंट तो सरकार अपनी जेब में रख लेती है और किसान को उस में से ज्यादा पैसा देने में उस की हालत खराब हो जाया करती है।

जहाँ तक रिकवरी का सम्बन्ध है, ईस्ट यू० पी० में १९५५-५६ में रिकवरी १० परसेंट, १९५६-५७ में ६.४४ परसेंट, १९५७-५८ में ६.६२ परसेंट और १९५८-५९ में ६.७८ परसेंट थी। रिकवरी की परसेंट मिल वाला कम करे और उस की वजह से किसान मारा जाए, यह तो बर्दाश्त के बाहर की बात है।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : ये आंकड़े कहाँ के हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद : ये टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के आंकड़े हैं।

श्री विश्वनाथ राय : ईस्ट यू० पी० और उत्तर बिहार में १० परसेंट कमी नहीं हुआ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं माननीय सदस्य को बाद में दिखा दूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में १९५५-५६ में १० परसेंट रिकवरी हुई। हाँ, बम्बई में ज्यादा है।

जहाँ तक वॉलिंग डेज का सम्बन्ध है, ईस्ट यू० पी० में १९५५-५६ में १५४ दिन, १९५६-५७ में १५१ दिन और १९५७-५८ में १३२ दिन काम हुआ। जब वॉलिंग डेज कम होते हैं, तो शूगर का कास्ट आफ प्राइवशन परमांड बढ़ जाया करता है। जैसे अगर वॉलिंग डेज ६० है तो कास्ट आफ प्राइवशन पर मांड ६.७ रुपये होता है, अगर वॉलिंग डेज १२० ये, तो कास्ट आफ प्राइवशन ५.६६ रुपये परमांड होता है और अगर वॉलिंग डेज १८० है, तो कास्ट आफ प्राइवशन ४.६७ रुपये पर मांड होता है। इस तरह से अगर एक दो रुपये मन कास्ट आफ प्राइवशन कम हो जायें, तो वह पैसा किसान को चला जाये, क्योंकि मिलों की खराबी या बदमाशी की वजह से अगर वे काम नहीं करती है, तो उस का पैसा किसान के पैसे से काटा जाये, यह बात समझ में नहीं आती है।

मैक्सिको और फिलिपाइन्स में चीनी की बार्ड-प्राइवट्स के पैसे भी किसानों को मिला करते हैं। लेकिन हमारे देश में स्थिति यह है कि मिल वाले मोलैसिज की कीमत चार छः आने मन दिखाते हैं, लेकिन वे वास्तव में गरीब आदमियों का भोजन बनते हैं और मार्केट में चार, छः दस रुपये मन के हिसाब से बिकते हैं। उस के अनावा मोलैसिज, खोई और दूसरी बार्ड-प्राइवट्स से कागज, कार्बन्ड, फर्टिलाइजर वगैरह कई चीजें बनती हैं। इन सब चीजों का पैसा भी किसान को दिया जाना चाहिये। सरकार ने जो दो रुपये मन गन्ने की कीमत तय की है, वह तो किसान को मिलनी ही चाहिये। मैं तो कहूंगा कि अगर उस से ज्यादा ढाई रुपये मन भी किसान को दिया जाय, तो जो कास्ट आफ प्राइवशन

मैंने अभी बताई है, उस को देने के बावजूद सरकार के सस और एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं होगी और मिलों के फायदे में भी कमी नहीं होगी।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वह इस बारे में कैल्कुलेशन फिर कर लें। मैं कैल्कुलेशन करके उनको दिखा सकता हूँ कि अगर किसान को ढाई रुपये मन भी दिया जायेगा, तब भी मिलों को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि दो रुपये मन की कीमत तो सारे हिन्दुस्तान में हमेशा कायम रखी जाए और अगर सरकार किसानों को जिन्दा रखना चाहती है, तो वह कोशिश करे कि अगले संजून से ढाई रुपये मन की प्राइस निश्चित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० एन० तिवारी ।

Shri Bishwanath Roy: Sir, I come from a district which has got 14 sugar factories.

श्री क० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जो कि दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा कही गई हैं या हमारे आपोजीशन के दोस्तों ने प्रोपेगंडा के लिये कही हैं।

श्री मोहन स्वरूप : (पीलीभीत) : प्रोपेगंडा है या सच्चाई ?

श्री क० ना० तिवारी : मैं इस बात से असहमत हूँ कि इस मामले में कोई पक्षपात बिहार, यू०पी० और दूसरे प्रान्तों को ले कर किया गया है। बिहार की पोजीशन यह है कि हमारे एक दोस्त ने, जो इन्डस्ट्री के डिप्युटी मिनिस्टर थे, एक खत में लिखा है :—

"The sugarcane production in Bihar has come down to 4.72 crore maunds in 1962-63 from 11.38 crore maunds in 1960-61..."

यह पोजीशन बिहार की है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की भी पोजीशन है। जी कमी हुई उसका कारण यह था कि कीमत उसके लिये जो दी जा रही थी वह उचित नहीं दी जा रही थी। यह इसलिये हुआ कि भारत सरकार ने बवाई के पहले कोई दाम मुकरर नहीं किये थे। यह कारण था कि सोइंग के समय में प्लांटेशन बहुत कम होता रहा। मेरा निवेदन यह है कि अगले साल का भी जो दाम है, वह अभी से घोषित कर दिया जाय। अभी दो रुपये है। उसको ही मुकरर कर दिया जाय ताकि किसान के अन्दर गलत फहमी की कोई गुंजाइश न रहे और किसान ऊँख की अच्छी खेती कर सके और अच्छी पैदावार ऊँख की हो सके।

उन्होंने आगे लिखा है जहाँ तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सवाल है :

"The factories located in Maharashtra, Mysore and Andhra and some other States have been showing a profit of Rs. 60 lakhs to a crore of rupees per year in their balance-sheet whereas the biggest in Bihar has hardly earned Rs. 10 to 12 lakhs in the peak year of 1960-61."

किसान को दो रुपये मिलने के सवाल का जहाँ तक सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। किसान होने के नाते, मैं समझता हूँ कि किसान को जितना ज्यादा मिल सके मिले। उसकी हालत दयनीय है। उस दयनीय हालत में उसको जितना अधिक मिले, उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। लेकिन यह चीनी और गुड़ का जो सवाल है यह बहुत पेचीदा सवाल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस पेचीदा सवाल का हल मुलझाने के लिये आप एक कमिशन की नियुक्ति करें या कोई आप डिपार्टमेंटल इनक्वायरी करायें और सारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत आदि सभी जगह पर शूगर की क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, प्रोफ़र की क्या पोजीशन है, सका पता लगवायें। इन सब बातों

[श्री क० ना० तिवारी]

की जांच करवा करके भागे के लिये प्राप प्लानिंग करें और उसके मुताबिक दाम निर्धारित करें। इस काम को जितनी जल्दी प्राप कर सकें, उतना ही अच्छा होगा।

दो रुपये की जो घोषणा हुई है वह तो किसान को मिलना ही चाहिये। महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पर जो भी प्राप करें, हमें उस में कोई एतराज नहीं है।

अन्त में मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ कि जो भी किसान को सुविधायें दें वे उसको उपलब्ध की जानी चाहियें। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि में जो रिकवरी के साथ गन्ने की प्राइस लिंक की गई है, उसकी मैं तार्ईद करता हूँ। लेकिन साथ-ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी सुविधायें, जैसे खाद की, पानी की, अच्छे बीज की, लोन की, किसान को मिलनी चाहिये। इस और भी प्रापका विशेष ध्यान आए, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री शिव नारायण: मैं हाउस में सबेरे से बैठा हुआ हूँ। कई इंसान से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है। मैं खेती करता हूँ एक बीघा खेत जाँच कर अपनी फसल का नुक्सान करके आया हूँ। तीन फसलों का नुकसान करता हूँ, तब एक फसल गन्ना पैदा कर पाता हूँ। तब कहीं वह गन्ना देश के लिए मैं दे पाता हूँ। प्रापने दो रुपया मन की घोषणा की है। हमारे अपने भाइयों ने और मैंने भी ढाई रुपये की मांग की थी। अर्पाइजेशन के आन्दोलन में मन्बर जो सहरनपुर से आते हैं, तथा दूसरों ने भी मांग की कि बड़ी अनुकम्पा हो जाये अगर ढाई रुपया भाव कर दिया जाये। मैंने यह मांग पहले भी की थी और आज भी करता हूँ। मैं देख कर आया हूँ। मिलों में स्ट्राइक चल रही है। कारण क्या है। मैं किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, गर्मी में बैसाख के महीने में पानी खेतों को देता हूँ, चार पांच पानी देता हूँ और ऊपर से नीचे तक का पसीना एक करके काम करता हूँ। हमारे

भाई लोगों ने तो किताबों में से कई बातें कही हैं उनमें से पढ़ कर प्रापको सुनाया है। मेरे हाथ में कोई कागज नहीं है, कोई किताब नहीं है। मैं पाँच रुपये नहीं कहता हूँ, चार रुपये नहीं कहता हूँ, दो रुपये नहीं कहता हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जितने रुपये मन चीनी, उतने ही आने मन गन्ना का भाव होना चाहिये। अगर चीनी चालीस रुपये मन बिकती है तो हमको भी प्राप चालीस आने मन गन्ना के दे दीजिये। यह सीधा सादा हिसाब है। इस में कोई विरोध नहीं होना चाहिये।

प्राप देखें कि ब्लैक मार्केट में दो रुपया सेर चीनी बिक रही है। मैं उस हिसाब से गन्ना का भाव नहीं माँगता हूँ। मैं तो गवर्नमेंट के भाव पर ही गन्ने का भाव माँगता हूँ। अगर मेरी बात का यकीन न हो तो माननीय मंत्री जी खुद जा कर इस बात की जांच कर सकते हैं। शाम के वक्त काली शेरवानी पहन कर वह बाजार जा सकते हैं ताकि उनको कोई पहचान न सके और इसकी जांच कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि राजाओं के जमाने में, नवाबों के जमाने में, मुसलमानों के जमाने में, बादशाह लोग जाते थे और मार्केट का भाव पता लगाते रहते थे। अलाउद्दीन के जमाने में प्राइसिङ फिक्स्ड थी और क्या मजाल किसी की कि अधिक कीमत किसी से वसूल कर ले।

आज नैशनलाइजेशन का सवाल भी चल रहा है और कहा जा रहा है कि शूगर इंडस्ट्री का नैशनलाइजेशन कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जब तक प्राप शूगर मिल्स का नैशनलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक किसान को सही दाम नहीं मिल सकते हैं और न ही चीनी की समस्या कभी हल हो सकती है।

विदेशों में भी चीनी हम को भेजनी है। वहाँ पर भी चीनी की मांग है। वहाँ पर दाम ऊँचे हैं। किसान को भी अ प ऊँचे दाम दीजिये, वही दीजिये जो वहाँ मिल रहे हैं। प्राप हम को दीजिये, हम प्रापको पैदा करके

देंगे । मैं कहना चाहता हूँ कि गेम न खेली जाये । मैं न इस मिल की एंजंटी करता हूँ और न ही उस मिल की एंजंटी करता हूँ । मैं किसान हूँ । मैं गवर्नमेंट से खुला हिसाब मांगता हूँ । क्लीयर कट हिसाब मांगता हूँ । मैं निश्छन हूँ, साफ़ मुथारा किसान हूँ, इंसाफ़ चाहता हूँ । मैं ईस्टर्न यू० पी० से आता हूँ जहाँ पर गरीबी का बोलबाला है । वहाँ पर लोग मुसीबतों के शिकार हैं । हम सत्तू खा कर रहते हैं, शीरे का पानी पी कर रहते हैं । जिस तरह से गरीबी हल हो सक, वह काम आपको करना चाहिये । सोशलिज्म का नारा आप लगाते हैं । मैं कहूँगा कि आज इसके बारे में भी डू आर डार्ड का नारा लगना चाहिये, जैसा नारा कि हमने १९४२ में अंग्रजों को निकालने के लिए लगाया था । मैं चाहता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान में आप एक दाम रखिये । महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में सभी जगह एक दाम दीजिये । आपका साथ किसान देने के लिए तैयार हैं । यह किसान की गवर्नमेंट है, पूँजीपतियों की गवर्नमेंट नहीं है, मिल मालिकों की नहीं है । यह गवर्नमेंट भूखों, नंगों, गरीबों की है । किसानों का इस गवर्नमेंट में विश्वास है । मैं ईमानदा की के साथ कहता हूँ कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन आप गन्ने का भाव किसान को दीजिये । यह बहुत ही जैनुइन मांग है । कोई ज्यादा मांग नहीं हम करते हैं । हम पलेट रेट मांगते हैं । फूड मिनिस्टर खुद किसान हैं । सहारनपुर वाले, शेरवाना, वाले खुद किसान नहीं हैं, किसी से अपनी भूमि को जुतवाते हैं । वह जानते नहीं हैं कि कैसे खेती होती है, फसल कैसे उगाई जाती है । वह हमारी कमाई पर ज़िन्दा हैं । खेत में हल मैं चलाता हूँ । मेरे बाप दादा चलाया करते थे । सका मुझे गुमान है । नंगे भूधे किसान हल चला करके, अपना गुजर बसर किसी तरह से करते हैं । खेत हमें मिलने चाहिये । अगर यह कर दिया जाता है तो जितना गन्ना आप कहेंगे हम आपको देंगे । आज जमीन बड़े बड़े लोग लिये बैठे हैं, जिसका नतीजा होता है कि

पैदावार कम होती है और हमको विदेशों से भीख मांगनी पड़ती है । असल में जो खेती करता है, उसको भूमि मिलनी चाहिये । आज हालत यह है कि बड़ी बड़ी तौष धालों के नाम जमीन लिखी हुई है । जो खेती करता है, उसके पास अपनी जमीन नहीं है । मेरी गुज़ारिश है कि जो परती जमीन है, वह हमको आप दें, किसान को आप दें, और किसान आपको जितना आप चाहेंगे, पैदा करके देगा और आपको दुनिया से भीख मांगने की जरूरत बाकी नहीं रह जायेगी । मुनासिब दाम किसान को आप दीजिये । डार्ड रुपये की मैं मांग करता हूँ । मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ । मैं चाहता हूँ कि इसका श्रेय आप पी० एस० पी० वालों को न दीजिये, हमें दीजिये । गेंदा सिंह जी को न दीजिये, हमें दीजिये । शिव नारायण को दीजिये । हमारी बात चलनी चाहिये । हम प्रेक्टीकल बात करते हैं ।

जहाँ तक गुड़ का सम्बन्ध है, इसको जाने दीजिये आप दिल्ली में, खोल दीजिये आप इसको । मार्किट का भाव चलने दीजिये । कोई कंट्रोल न रखिये । अगर आप ने ऐसा किया तो सब जगह यह मिलने लग जायेगा । गुजरात की बात की जाती है । कहा जाता है कि वहाँ गुड़ बहुत कम मिलता है । अस्सी रुपये मन बिक रहा है । वे लोग अपने हर खाने में गुड़ का प्रयोग करते हैं । जाने दीजिये गुड़ को वहाँ । क्यों प्रतिबन्ध आप लगाये हुए हैं । हम गरीबों को भी कुछ अधिक पैसा मिल जाने दीजिये । खास तौर पर गन्ने का भाव आप डार्ड रुपया कर दीजिये । कितने ही कांग्रेस वालों ने इसकी मांग की और तब आपने माना और दो रुपया का भाव दिया । आप को चाहिये कि आप डार्ड रुपया दें । गेंदा सिंह जी को श्रेय इसका न दीजिये । मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर गौर करे और महाराष्ट्र में तथा दूसरी हर जगह पर एकसा दाम दें ।

श्री बिबधना राम : मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि इस सेशन के

[श्री विश्वनाथ राय]

अन्तिम दिन और बहस के लगभग अन्त में आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मेरा इस विषय से बहुत अधिक सम्बन्ध है। जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ पर चौदह शूगर फैक्ट्रीज हैं और किसी समय, आज से कोई पांच साल पहले उत्तर प्रदेश में सारी चीनी का ६० प्रतिशत उत्पादन होता था जो अब गिर गया है, कम हो गया है। शूगर इंडस्ट्री की रक्षा के लिये, जिसका महत्व भारत में दूसरे नम्बर पर है, वर्तमान खाद्य मंत्री ने जो कदम उठाया है, उसके लिये उनको भी धन्यवाद देना है। पिछले साल या इससे कुछ पहले जिस समय भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्री श्री पारिल ने वैज्ञानिक बातों का हवाला दे कर गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की नई नीति को अपनाया था उस समय मैंने इस बात का संकेत किया था कि यदि इस समय आप उसको कार्यान्वित करने हैं तो भारत के उन किसानों का, जो सीधे गांव से आते हैं, जिन में शिक्षा का अभाव है, उनका नुकसान हो सकता है। जिस समय श्री पुरी साहब मूल्य निर्धारण नीति का समर्थन कर रहे थे उस समय मैंने उन से एक प्रश्न किया था कि क्या होगा ऐसी फाक्ट्रियों के सम्बन्ध में जिन का प्रबन्ध खराब है और जिन की मशीनरी खराब होने के कारण, जिन का प्रबन्ध खराब होने के कारण, चीनी का प्रतिशत कम होता है। इसमें किसानों का क्या दोष होगा। इस बात की आशंका मैंने पार साल प्रकट की थी और वह अक्षरशः मेरे जिले में सामने आई है। एक स्थान है रामकोला, जहाँ पर एक चीनी फैक्ट्री का प्रतिशत १०.१ है और उसी गांव में दूसरी फैक्ट्री की चीनी का प्रतिशत ६.६ है, लेकिन गन्ने के भाव दोनों जगहों पर एक तरह के रखे गये हैं। इस तरह से वैज्ञानिक ढंग से गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि कहीं किसानों की गलती से नहीं बल्कि फाक्ट्रियों की गलती से किसानों के उत्पन्न किये हुए गन्ने के भावों पर

तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह सही है कि आप वैज्ञानिक ढंग अपनायें, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की गलती के कारण से प्रतिशत कम होता है तो उस के लिये आप कोई उपाय करें। यह ढंग रीजनवाइज अपनाया जाना चाहिये न कि खास खास जगहों की फैक्ट्रीज को ले कर के। केवल एक एक फैक्ट्री को अलग-अलग न लेना चाहिये बल्कि किसी एरिया में चीनी का प्रतिशत जो पड़ता है उसके अनुसार आप मूल्य निर्धारण करें।

मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि जो परसेन्टज चीनी का न्यूनतम रखा गया था ६.८ उसको वर्तमान खाद्य मंत्री ने ६ प्रतिशत रख कर मूल्य निर्धारण की नीति अपनाई है। इससे एक दो लाख नहीं, बल्कि लगभग एक करोड़ गन्ना उत्पादकों को सन्तोष हुआ है। और आशा है कि उस उद्योग में, जो भारत में महत्व का दृष्टि से दूसरे नम्बर पर है, जिस का निर्यात भी देश के बाहर हो रहा है, कुछ स्थिरता आयेगी। लेकिन यह आशंका है कि अगर अगले साल फिर परिवर्तन हुआ, हर साल परिवर्तन होते जायें तो इस उद्योग धन्धे में और किसान की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने में बाधा डाल सकते हैं। जिस तरह से कुछ साल पहले स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई के समय में, यह नीति अपनाई गई थी कि लगभग एक साल पहले नई बोवाई के पहले किसानों को उसकी पैदावार का मूल्य बतला दिया जाये, उसके बदले मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप शूगर इंडस्ट्री के लिये और पंच वर्षीय योजना के लिये केवल यह न सोचें कि हमें कितना गन्ना पैदा करना है और हमें कितना चीनी का उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि हम यह भी सोचें कि दो या तीन साल तक हम भाव में कितना अन्तर कर सकते हैं। वह अन्तर कम से कम होना चाहिये। चाहिये तो यह कि एक साल नहीं, दो तीन साल के लिये निश्चय कर लें कि पिछली बातों को

ध्यान में रख कर मूल्य निर्धारण की बात तय करें। यह समस्या आज है ?

२ ६० मन की बात हुई। क्यों हुई ? वह इस कारण हुई कि दक्षिण में जहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं था वहाँ चीनी का उत्पादन बढ़ा है और उत्तर भारत में, खास कर उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादन कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहाँ सारे भारत के उत्पादन का ६० प्रतिशत हुआ करता था वहाँ वह घट कर ४५ प्रतिशत हो गया है। बिहार की बात यह है कि पिछले तीन चार सालों में चीनी का उत्पादन तिहाई कम हो गया है इसलिये इस उद्योग घन्घे पर, जो कि रीढ़ था, आधार था, खतरा था। एक प्रदेश में उत्तर और पश्चिम में जो भेद भाव पैदा हो गया था, उसको मिटाने के लिये और इस उद्योग घन्घे को ऐसी स्थिति में लाने के लिये जिसमें हम न केवल आत्म निर्भर हों अपने देश के अन्दर बल्कि हम उसको बाहर भी भेजे क्योंकि दुनियाँ में मांग बढ़ रही है, मूल्य निर्धारण किया गया। इस के लिये मैं उस इलाके की तरफ से जो गरीब है मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इस के साथ यह कहा गया कि चीनी का प्रतिशत बढ़ावें और उनके अन्तःकार हम गन्ने के मूल्य का निर्धारण करें। इसके लिये जो सादन हो उनके लिये भी आप प्रयत्न करें। जिम तरह से इतनी उलझो हुई समस्या को, जो पाटि साहब के समय में पैदा हो गई थी, सुलझाने के लिये मंत्री महोदय ने निःसंकोच कदम बढ़ाया है, तथा, उसमें सफलता प्राप्त हुई है और हमको उससे सन्तोष हुआ है, वहाँ यह भी है कि जो सेस का मामला गन्ने के मूल्य के साथ लगा हुआ है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। या तो सेस से लाभ उठावें, गन्ना उत्पादक या गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लाभ होता है तो उस लाभ को आप जनरल बजट में इस्तेमाल कर के इस उद्योग की सहायता करें। आज गन्ने के उत्पादन में कमी की जाती है, आज फर्टिलाइजर के नाम पर, खाद देने के नाम

पर या दूसरी चीज के आधार पर जो सेस दिया जाता है उसको आप ने लेने है लेकिन ख नो उद्योग घन्घे को बढ़ाने के लिये, जिसके लिये वह लिया गया था, उसमें आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस के लिये केन्द्रीय सरकार के संबन्ध में हो या प्रदेश सरकार के बारे में हो हर तरफ से आवाज उठेगी, यह बिल्कुल उचित बात है कि जिस चीज के नाम पर पैसा लिया गया उस उद्योग घन्घे को बढ़ाने के लिये आप सुविधा दें और उस के पैसे का इस्तेमाल उसी चीज के लिये करें।

इसके साथ ही साथ जहाँ तक सुकोज की बात है, अब जो रिकवरी होती है उसके अपर मूल्य निर्धारण होता है। लेकिन इस के सम्बन्ध में आप भूल जाते हैं कि देती करने वाले का कितना खर्च होता है। आज एक सरकार का अपना राजकीय फार्म है। चाहे सूरतगढ़ फार्म में अभी गन्ने का उत्पादन होता है या न होता हो, लेकिन कुछ दिनों पहले जो एशिया का सबसे बड़ा फार्म था, वह उत्तर प्रदेश की तराई का स्टेट फार्म है। वहाँ लाखों मन गल्ला हर साल पैदा होता है। वहाँ पर उत्पादन की लागत जो होती है उसका भी ध्यान रख कर मूल्य निर्धारण किया जाय तो अच्छा होगा। वर्षों तक सरकार इस बात को टालती गई है। इस से अनेकों प्रकार की शंकायें पैदा होती हैं। इससे विरोधी दलों के लोगों को उचित या अनुचित बातें कहने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर आप के पास कोई मौलिक आधार होगा जिस के ऊपर आप मूल्य निर्धारण करेंगे तो चाहे गन्ने का मूल्य बढ़े चाहे घटे या वैसे ही रहे, लेकिन उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। आपके पास तथ्य होगा जिस के आधार पर सब लोगों को उसे समझाने में आसानी हो सकती है।

उत्तर और दक्षिण में अन्तर करने की बात यहाँ पर नहीं है। जो दो रूपया फी मन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में वह बिल्कुल सही है।

[श्री विश्वनाथ राय]

मूल्य और भी बढ़ सकता हो तो बढ़े। उसका स्वागत है, लेकिन साथ साथ दक्षिण के लोगों को भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करना चाहिये, जो कि समय समय पर भ्रवश्य हो जाता है कि यदि उत्तर प्रदेश की फेक्ट्रीज सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकी हैं तो उनका स्थानांतर कर दिया जाय। यदि कभी ऐसा भ्रवसर आया तो उसका भयंकर विरोध होगा चाहे हम लोगों की तरफ से हो चाहे विरोधी दलों की तरफ से हो लेकिन फेक्ट्रीज के स्थानांतर का विरोध बहुत जोर से होगा।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ दो या तीन बातों की तरफ खास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने मुझाव दिये, केवल श्री शिव नारायण जी को छोड़ कर क्योंकि उन्होंने तो बड़ी-बड़ी गरम-गरम तकरीर कर के शायद वोट हासिल करने की कोशिश की है। मैंने श्री काशीनाथ पांडे और पुरी साहब की बातें सुनीं। उन्होंने पिछली दफे यह तर्क दिया कि गन्ने के दाम, चीनी का दाम नहीं घटाना चाहिये ताकि हिन्दुस्तान के जो उपभोक्ता लोग हैं वे चीनी का ज्यादा इस्तेमाल न कर सकें बल्कि चीनी को और महंगी करते जायें। उन्होंने बहुत खूले रूप में तो नहीं कहा लेकिन उन की मंशा यह थी और तर्क भी इसी दिशा में था। आज उन्होंने एक नया तर्क उपस्थित किया कि ज्यादा गन्ना बोया जा रहा है। और अगर गन्ने का दाम बढ़ जायेगा तो लोग सारी खेती को छोड़ कर गन्ना बोयेंगे। इसलिये गन्ने के दाम ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिये, हालांकि ऊपरी मुंह से कह दिया कि दाम बढ़ने चाहिये। दूसरी तरफ पुरी साहब ने फरमाया कि रिकवरी के आधार पर दाम हाने चाहिये। हालांकि पिछली दफे उन्होंने कहा था कि उसका दाम २६० मन होना चाहिये। दिशा

यही है कि २६० मन गन्ने का दाम हो जाये तो अच्छी बात है वरना कोई खास मंहम्बद नहीं है शिव नारायण जी को, यह मैं मानता हूँ। इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि गन्ने के दाम में आपको एकरूपता लानी होगी। मझे एक किस्सा याद आता है। मेरी तरफ एक देवता होता है जिसका नाम है कंकड़ बाबा। उसे दूध पिलाओ तो प्रसन्न नहीं होता, जा कर वर लागो तो खुश नहीं होता। रास्ता चलते हुए लोग उसको कंकड़ मारते हैं। यह दशा हमारी सरकार की है। जब भी आप देखिये हड़ताल होती है, लगानार दस वर्ष से हम देखते हैं कि गन्ने के दाम पर झगड़ा होता है। आज भी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और दूसरे जिलों में हड़ताल होती है। आज अपने-गुड़ के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया। दिल्ली से ही नहीं बल्कि किसी जिले से भी वह बाहर नहीं जा सकता। उस को लोग नांड रहे हैं। राज्य सभा के एक माननीय सदस्य मुकुट बिहारी लाल जी के अलावा भी बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन वह भी गिरफ्तार हैं। आप खुद ही इस बात का भ्रवसर देते हैं कि विरोधी पार्टियों के लोग इन सवालों का उठाये। जब आप लोगों को जेल भेज लेते हैं और मारामारी हो जाती है, तो आप उसी बात को मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आखिर जां आप इनने लड़ाई झगड़े हों जाने के बाद उसी रास्ते पर आते हैं, इसमें तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। हम तो तब जानते कि आप लड़ाई झगड़े के बाद भी न मानते। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे तरीके से किसानों की उचित मांग का मान लीजिये।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि ढाई रुपये मन दाम दिया जाये। मुझे ऐतराज नहीं, वह पांच रुपये मांगें। लेकिन यह सीधा सा फारमुला है कि जितने आने मन गन्ना हो उतने ही रुपये मन चीनी होनी चाहिये। आप नम फारमुले का मान लीजिये तो सारा झगड़ा खत्म हो जायेगा।

आज चीनी की क्या हालत है ? उसमें चोरबाजारी हो रही है और किसी कीमत पर चीनी हमको नहीं मिलती जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, हमारा आदमी बापस आ जाता है उसे चीनी नहीं मिलती दिन-दिन घूमने के बाद भी । आप की जिम्मेदारी है देश की चीनी देने की । खाद्य समस्या पर बहस के दौरान कहा गया था कि सारी दुनिया में खाद्यान्न की कमी है इसलिए यहां भी कमी है, लेकिन चीनी की कमी देश में नहीं है । मिल मालिक चीनी की चोरी कर रहे हैं । वह जानते हैं कि बाहर के बाजारों में चीनी का भाव ज्यादा है इसलिए यहां भी उपभोक्ता को चीनी ठीक दाम पर मत मिलने दो । हम तो गांव से आते हैं । हमारे यहां घरों में चीनी नहीं खायी जाती । अगर हमारे यहां घरों में चीनी खायी जाये तो चीनी का देश में पता भी न लगे ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जाये । जब यह प्रतिबन्ध नहीं था तो गुड़ चानीस रुपये और ६० रुपये मन विकता था, लेकिन आज प्रतिबन्ध के कारण गुड़ का भाव १८ रुपये मन है ।

श्री स्वर्ण सिंह : कहाँ है ?

श्री सरजू पाण्डेय : हमारे यहां गाजीपुर में है, आप जितना चाहें गुड़ इस भाव पर ले सकते हैं । गुड़ बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए वहां व्यापारी उसे कम दाम पर खरीद रहे हैं । तो मेरा निवेदन है कि गुड़ पर से बिल्कुल प्रतिबन्ध हटा दीजिये ।

दूसरा निवेदन यह है कि चीनी को सस्ता कीजिये और जो हड़तालें आदि हो रही हैं इनको खत्म करने का यत्न कीजिये । इस चीज को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । विरोधी पार्टी का कोई आदमी खामब्राह्म अगड़े में नहीं पड़ना चाहता । यहां तो हम ने देखा है कि कांग्रेस के सदस्य भी इस मामले में हों हों कह देते हैं और गन्ने का दाम ज्यादा मांगते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा न करने से

उनको आगे बोट नहीं मिलेगी । वह भी कह देते हैं कि दो रुपये मन भाव मिले ।

श्री शिव नारायण : मैंने तो पिछले सेशन में भी डाई रुपये की मांग की थी, और नेशनलाइजेशन की मांग की थी ।

श्री सरजू पाण्डेय : हम कहते हैं कि यह बात कांग्रेसी सदस्य डर के भारे कहते हैं । और वहां जा कर कह देते हैं कि हम क्या करें मिनिस्टर नहीं मानता, हमने तो कहा । मैं तो कहता हूँ कि अगर माननीय सदस्य भी इसके लिए तैयार हों तो मैं भी तैयार हूँ कि अगर सरकार गन्ने का दाम दो रुपये मन न करे सारे देश में और चीनी की कीमत न घटाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें चाहता हूँ । लोगों ने कहा कि रिकवरी ठीक नहीं बतायी जाती और मोलासेज और खोई का दाम नहीं लगाया जाता । मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता । ये तक पिछले दस साल से दिये जाते रहे हैं । मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाये और चीनी को सस्ता किया जाये ताकि जो अगड़े हो रहे हैं ये खत्म हों और चीनी मिलों को ठीक से गन्ना मिले । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप को सफर करना होगा । हम गलत आलोचना नहीं करते और किसानों को भड़काना नहीं चाहते । हम तो यह चाहते हैं कि ईमानदारी से किसानों को उचित मूल्य दिया जाये ताकि जनता का भला हो ।

श्री बिदवनाथ राय : गन्ने का दाम कम करने के लिए हाउस में आप कहते हैं ।

Shrimati Savitri Nigam (Banda): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there is no doubt that the question of sugarcane prices is a very complicated one. But I am also sure that it could have been solved very easily and indeed any problem could be solved if the Government would not have yielded

to various pressures. It is very surprising that while the prices of sugar have increased since 1953, by hundred per cent, still the sugarcane growers are getting only the prices obtaining in 1950 in all the places except Uttar Pradesh and Bihar where the prices have been increased and also Bombay.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: In Bombay, they have increased only by 7 nP.

Shrimati Savitri Nigam: I am sorry. The conditions of farmers are so pathetic and they have been exploited by so many ways to such an extent that very soon you will see that a very great cry and demand for nationalisation of sugar factories would be coming soon if the Government is not successful in solving this problem. If the dis-satisfaction which is very much prevalent amongst the cane growers and the various types of exploitations which are prevalent are not stopped, naturally the sugarcane growers and the farmers who form three-fourths of the population of the country would surely come with this demand. The sugarcane grower, even today, in Uttar Pradesh where the price has become Rs. 2 per maund, which has been welcomed by everybody, in spite of the fact that the price has been increased there, is still being exploited in many ways and there are still many sugar factories with whom a large amount of arrears of sugarcane prices are still pending. What I want to suggest is that this question has become so much complicated, this has reached to such a pathetic situation, that unless the Food and Agriculture Minister who is so kind and helpful and who understands the plight of the poor farmers appoints a special committee to go through all these questions and to give some immediate relief, this dis-satisfaction would never be removed.

I have got many points to make but I would like to conclude after making one suggestion. If the Government

is unable to solve this question thoroughly and give a minimum decent price to the sugarcane growers, it would be far, far better if the Government washes off its hands from the entire responsibility and de-controls the production of sugar and the prices of sugar altogether. That would be much better. So, I would again request the hon. Minister to go through this question more deeply and to give immediate relief to the sugarcane growers.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): Before the hon. Minister replies, I want to make one submission to you. Only those who had sent chairs or had gone to the Chair have been called. It should not have been given an impression that those who tried to catch the eye of the Chair have been cold-shouldered.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister.

Shri Swaran Singh: Mr. Deputy-Speaker, Sir, this hon. House has considered and discussed this problem of sugar and gur, sugarcane prices and other allied subjects three times during the last three or four months. There was a long debate during the last session and even during this session we had only some days ago a very full and detailed debate on the various issues some of which have again been referred to by hon. Members who have participated in the debate. To my mind, the issue involved at the present stage is a simple one.

16 hrs.

I made a statement on the floor of the House on the 12th December, 1963, and two important decisions were announced when I made that statement. The first decision was that the remaining factories in East UP and North Bihar should be enabled

to pay Rs. 2 per maund of sugarcane. And the second was that there should simultaneously be a general increase of 7 nP in the recovery formula so that the minimum price at the level of 9 per cent recovery or below would be Rs. 1.75 per maund of sugarcane and prices at other levels would be correspondingly increased.

I have listened with very great care and attention to the speeches made by hon. Members from both sides of the House. It is a very interesting phenomenon that not a single Member has criticised these decisions on the floor of the House. Not a single Member has said that the price should not have been increased to Rs. 2 in North Bihar and UP, and not a single Member has said that the increase of 7 nP per maund of sugarcane, which I had announced, at the level of 9 per cent recovery is not correct. Therefore, so far as the announcement of Government's policy on these two vital issues is concerned, I venture to submit that both these decisions have been welcomed.....

Shri Sinhasan Singh: May I submit.....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Swaran Singh:by all sections of the House including my hon. friend Shri Sinhasan Singh.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: When demand is made for Rs. 2, I think that it will be injustice to say that the increase by 7 nP. is not objected to.

Shri Swaran Singh: No one has suggested that 7 nP. increase should not have been given.

I shall now explain what their demand is. They say that it should have been more. But, at any rate, so far as the additional basic price of 7 nP. and also putting on a par the remaining factories in Bihar and UP are concerned, there is unanimity of

opinion that this was a step in the right direction. So, whatever else may be the circumstances or whatever else may be the demands or new points that might be urged, so far as the decisions on these two issues are concerned, I take it that they are welcomed by all sections of the House.

I am quite conscious of the fact that other points have been urged sometimes politely and sometimes in strong language, and all types of issues which, to my mind, are extraneous, have been raised. I shall venture to place in a very objective manner the whole situation, and I shall leave it to the House to judge for itself. I myself have no intention to enter into any long argument on this issue.

Historically, the sugar industry, the sugarcane prices, the level of production and even the level of consumption etc. have passed through many vicissitudes. We had higher prices of sugarcane and we had also lower prices of sugarcane; we had less production in certain years and we had more production in other years. And depending upon the variety of circumstances not only have different views been taken in the matter of fixing the minimum price of sugarcane which is payable to the cane-growers, but different considerations have been adopted in different regions, depending sometimes upon factors which were necessary at a particular stage of development, which factors were later reviewed.

In support of this, I would like to recall to the House that there was a time when the price all over the country was based on just the weight of the sugarcane, and the minimum price payable was not linked to recovery. Then, a more scientific and a more rational thinking went into this method of giving the price, and as has been pointed out by some hon. Mem-

[Shri Swaran Singh]

bers, when you sell sugarcane, you sell really the sugar content in the sugarcane, and therefore, the linking of the price in some form with the recovery was a step in the right direction. Some hon. Members have criticised it on the ground that in actual application and implementation there are certain defects. It is not for me to protect or to defend those factory-owners and the like who are indulging in those practices. But let us not lose sight of the fact .

Shri Bishwanath Roy: In one village, the difference is 0.5 per cent.

Shri Swaran Singh: Let us not lose sight of the fact that the linking of the price with recovery is a step in the right direction. We can eliminate whatever defects there may be. As I said on the last occasion, there can be a difference of opinion as to what the minimum price is, and what the level is at which that minimum price should be fixed. Those are matters on which there can be difference of opinion. But, broadly speaking, the linking of the price with recovery is, on the whole, a step in the right direction; it will give the necessary incentive to the grower to improve the quality, and he will also adopt better farming methods to ensure that the sucrose content remains higher. But I would like to say that this was not the practice from the very beginning, but this was introduced later. Still, certain defects have been found and certain defects have been thrown up by hon. Members here, and I agree that we should do our best to rectify them. But to my mind, it is a step in the right direction.

There is another factor which I would like to mention, namely that formerly most of the sugar was produced in the north, that is, in U.P. and Bihar, and the total consumption in the country was also less. It was necessary, when the consumption pattern showed an upward trend, that the sugar manufacturing capacity should

be increased in the country. It is quite common knowledge, and those of my hon. friends in this House who belong to villages know fully well that farmers do take some time to switch over from one crop to another. It is not like changing a particular part in a machine after which it starts producing something else, but like many biological processes, the growing of crops is something which you cannot order about easily. You have to create conditions under which farmers find it profitable to switch over to other crops. When this situation unfolded itself, that it was necessary to increase production in the country and it was necessary that the sugar industry should come up in those areas where sugarcane would be of better quality, and where the sucrose content would be high, and where the yield would be higher, which should also result in diversification of the industry, certain concrete and definite steps were taken to encourage the establishment of sugar factories in Maharashtra and Andhra Pradesh and in the south. Government took a conscious decision in giving a higher price for sugar to factories in that area. Some people could probably charge Government with discrimination at that time on the ground that a different price which worked out at a level higher than the one which was justified according to the norms was given there. But that was a deliberate decision to ensure two things, firstly that the whole thing did not remain concentrated in one area and secondly that there was utilisation of potential elsewhere, and, therefore, what is called a freight advantage was given for factories which were established in the south including Maharashtra. People could say that that was discrimination, but Government took that decision consciously to attain a certain objective, it being to increase production and diversify the industry.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: On a point of information,

Shri Swaran Singh: Not now. He can ask at the end if necessary.

For the information of the House, I would like to give the actual figures in this connection which will amply clarify the point I am trying to place before it. I am not using that as an argument to dispel any suggestion that a particular price should be payable in a particular area. What I am saying is that as a policy, we have been pursuing necessary correctives and giving necessary incentives and we have been creating conditions where the industry should develop and grow in particular areas.

What is this 'freight advantage', because this expression has been used? I would like to pinpoint it so that it may be known clearly as to what it actually implies. While the controlled ex-factory price of sugar fixed by Government in the north is nearly equal to the cost price of sugar plus margin as determined according to the wishes of the Tariff Commission, and the authorised cane price and the estimates of duration and recovery for the season 1963-64—I am bringing it during the current period—the prices fixed in Maharashtra and the south are higher than the ex-factory cost calculations including the return permissible under the Tariff Commission recommendations. In Maharashtra, on the basis of minimum notified prices of sugarcane calculated on the basis of Rs. 1.75 per maund related to a recovery of 9 per cent., the ex-factory cost works out to Rs. 106.50 per quintal while the ex-factory price fixed is Rs. 115 per quintal. In Madras, the ex-factory cost calculated comes to Rs. 109.8 per quintal while the controlled ex-factory price is Rs. 115 per quintal. In Andhra Pradesh, the calculated cost in factories which will pay the minimum notified price works out to Rs. 110.8 per quintal while the controlled ex-factory price fixed is Rs. 115 per quintal.

An Hon. Member: Kerala?

Shri Swaran Singh: It is insignificant, because the total production is very small.

It may be observed that the Maharashtra factories have a greater margin than the factories in other States. The reason is that the majority of the factories in Maharashtra are new and have been established at a higher capital outlay than was taken into account by the Tariff Commission for working out the cost schedule. Even after providing for the additional incidence of the higher capital outlay which may work out to Rs. 3 per quintal of sugar, there is still a substantial margin available to the Maharashtra factories for paying a higher price to the sugarcane growers, which they did in the past in lieu of the price linking formula. The Maharashtra factories and the factories in the south paid in the past additional price to the cane growers out of the freight advantage. In fact, the Maharashtra co-operatives are paying additional price for cane to their members from this advantage. It may also be mentioned that the freight advantage enjoyed by the southern factories was reasonable so long as Maharashtra and the southern States were deficit in sugar and depended upon supplies from the north. The position has completely changed during the past four or five years. The southern region has not only become self-sufficient, but is fast approaching a position of surplus. Until 1953-54, Maharashtra, Andhra Pradesh, Mysore and Kerala together produced about half the sugar that they consumed. They became gradually self-sufficient in 1959-60, and during the past three years have become surplus. The production of sugar in Maharashtra has risen from 1.35 lakh tonnes in 1952-53 to 5.30 lakh tonnes in 1962-63. In the circumstances, there would not appear to be justification for continuance of the freight advantage at the same level for all times to come. It is however being continued in the interest of stabilising the industry in Bombay.—Deccan and the south and giving incentive for further

[Shri Swaran Singh]

development because of the higher tonnage of sugarcane per acre and generally better recoveries of sugar from sugarcane obtained in these parts. At the same time, there would not appear to be strong justification for increasing the consumer price by raising the sugarcane price further simply because a little *ad hoc* increase has been allowed in the north owing to special circumstances prevailing during the current year.

I took this time of the House to place very objectively the factual position before it. I am not advancing any argument based on this. But this will definitely indicate that whatever else may be the charge, there cannot be a charge of discrimination against Government in the matter of treating factories in the south, in Maharashtra or in other parts of the country. Again I very carefully wanted to understand as to what is the argument. It boils down to this. It is said that Rs. 2 should be the minimum price payable to the grower and the further price should be calculated on that basis all over the country. That may be put forward as a demand, but certainly the charge of discrimination has no legs to stand on, because even in the north, it is not that Rs. 2 has been made the basis for further calculation on a minimum recovery. On that basis, the prices in East U.P. and Bihar would shoot up very much above Rs. 2. But that is not the intention. The conscious and deliberate decision was that there should be a certain uniform price increase all over which price increase will be reflected in higher minimum price payable to the growers based on recovery, and on that basis 7 nP. has been given all over the country.

I would also like to recall to the memory of this hon. House one thing, because sometimes in the heat of argument and the like we are prone to forget basic facts. This year, there has been an increase throughout the country in the basic minimum price of

25 nP. all over the country. That is a thing which is conveniently forgotten and no mention of this was made by hon. Members.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: It was mentioned.

Shri Swaran Singh: Did I interrupt him when he spoke?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: It was mentioned. The only criticism was that it was not uniformly adhered to.

Shri Swaran Singh: I am glad the hon. Member sees certain inherent weaknesses in his arguments. This increase of 25 nP. on the basic minimum price that is payable to the grower is applicable throughout the country. With regard to certain factories and certain areas where as a result of the overall assessment, Government came to the conclusion that there is such a competition from gur and khandsari that an assured supply to the sugar mills will not be possible, they made the variation. That variation was made not in the statement I made on the 12th December but in the earlier statement. We are discussing the 12 December statement and not the earlier one which was discussed in very great detail when the House deliberated over this issue some weeks ago. In this there is no new principle except the extension of a principle which had been already recognised to certain tracts which had been left and where also it was thought that if we did not extend it to that area, we would be inviting trouble in the sense that fresh competition from gur would start in those areas. Therefore, the basic structure of price fixation continues to be the same. I have not introduced any new idea or new thought in this except that I have liberalised it in two respects. One is that I have given a 7 nP. increase overall which will also be reflected in the additional calculation of price payable to the grower all over the country, including, south, north, everywhere. I have not

made Rs. 2 as the basic price for 9 per cent in any part of the country. So there is no question of discrimination. There could be some justification in this if I had decided that 9 per cent recovery in U.P. or Bihar or the northern part was the basis for further additional price to be paid to the grower if the recovery was higher. That is not the case anywhere. So that whatever else may be there, I am sure that the charge of discrimination cannot certainly be levelled, particularly when it comes from an hon. Member for whom I have great respect for his ideas and the way he expresses them. I felt somewhat distressed when I noticed that he was saying this in a very heated manner without understanding the full implications of what he was trying to make out. Some hon. Members said that the co-operative sector is not considered properly in the grant of licences. I intervened at that time and the hon. Member mentioned it to me also. I find that the whole matter is still being examined and no licence has been granted to anybody. I would like to repeat that it is the Government's intention to give all possible help and encouragement to the co-operative sector and if they are coming forward in any particular area, we will see that they receive all encouragement. It is not fair to base an argument on a matter which is not yet decided. As my colleague answered in Parliament, a committee is examining various applications for the grant of licences; its recommendations are not yet known. If the sources of information of my hon. friend are more than mine, if somebody who might have done some nothing or some opinion has frightened him, I have sympathy with him but I have nothing to rebut because no decision has yet been taken.

I was unable to follow the point that he raised about the excess rebate on additional production working to the prejudice of co-operatives. If he gives me a note I will examine it. It is a straightforward rebate on additional production throughout the

period. The rate is slightly different in the initial stages when recovery is low, for the period when the production is optimum it is 20 per cent on additional production, and again when the sucrose content shows a tendency to go down at the end of the period the rebate is 50 per cent. On total production, there is incentive over the year, but divided into three segments—earlier period, optimum period and later period. This is a fiscal measure which should work in the same way whether it is co-operative sector or private limited company or any other structure. Anyway, he must have studied this point and if anything works against co-operatives, I welcome a discussion between him and me or he can give me a note. It is not our intention to do so and I am still unconvinced how it could be so. If it is so, I am prepared to rectify it.

Then, some legal and constitutional issues were raised. I also studied law, though I am not actively in it now, I do not know the basis of his advice to say that it is legally and constitutionally incorrect. We took a conscious decision to give incentive in a particular area. Some years ago, we gave additional price to Maharashtra and other regions in the south. We find that the situation is that during the last two years, production has been reduced by one-third in U.P. and Bihar and it causes such a difficult position in the country. It is our intention to step up production and therefore, some incentives are provided in an area where it is needed. I cannot see the constitutional or legal point in it. Can we judge it from one angle when incentives are given to increase production in one area and from another angle in another area? Can it become discriminatory and illegal if it is done in some other area? One may not like it; it is a different matter. One can examine it. But to say, it is illegal or unconstitutional is something which is not sustainable.

[Shri Swaran Singh]

I am purposely not referring to the general observations about stepping up of agricultural or cane production because they have been discussed in great detail some time ago. I agree that the price payable to the growers in the next season should be known to them before the sowing season and a statement will be made indicating the minimum price payable in different parts of the country after examining the various factors involved and also indicating the basis on which these prices are to be fixed; it will be before the sowing season commences... (Interruptions.) But I may say clearly in respect of gur that the prices now obtaining even in surplus States of U.P., Madras, Bihar, Andhra Pradesh are not uneconomical. If prices sag to an uneconomic level, we could consider whether any modification of the policy is necessary. If anything, I notice certain hardening tendencies because some traders, clever and shrewd people that they are, see that some pressures are being built and some arguments are advanced and are waiting to see whether Government is not going to remove control or relax the control. I want therefore to make a very clear statement that we are watching the situation very carefully and we will step in for modification only if the prices fall to distress level. We are satisfied that the present price compares favourably with the price that one gets for supplying gur to the mill. If traders resort to hoarding, cornering and try to push up prices, they will be sorely disappointed, if they think that Government is going to alter their policy on these considerations. I am fully conscious of the difficulty that is being experienced in States like Gujarat and Rajasthan which depend entirely on supplies of gur from other parts. We will certainly see that gur which is obtained at a reasonable price here is moved in sufficient quantities so that the consumer there does not face the difficulties that he is facing today.

We tried to grapple with the problem and take some concrete steps and that itself would yield results; the price of gur had ruled at a very high level which ultimately is not in the interests of the grower also because that can be maintained only if this balance between sugar and gur is maintained at a proper level. If this is violently upset, the other considerations would arise, and they have risen during the past, when gur price crashed to a very low level. So, we are watching the situation very carefully and it is our intention to pursue the policy of giving an equitable price to the grower which has been done because throughout the country we have given 25 nP. more in areas where the competition is more. We have given an additional incentive in the interests of stepping up the overall production, because the carry-over this year was very small. This is also a step which I think will convince the trade. Nothing else convinces the trade than concrete steps. Let us not be frightened merely because there are some difficulties in the immediate future or at the moment. This is a situation which is a complicated one, and I am susceptible and amenable to rectification of certain difficulties that might arise. But let us reconcile ourselves to the basic policy which I ventured to make when I made the statement on 12th December.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: One question, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: No question. If I allow one question for you, I will have to allow others also.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: At least for the Mover one question must be allowed.

Mr. Deputy-Speaker: No question.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: One question by way of clarification.

Mr. Deputy-Speaker: No question. The discussion is over. Let us pro-

ceed to the Half-hour Discussion.
Shri Kishen Pattnayak.

16. 33 hrs.

FAMINE IN RAJASTHAN**

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:
(Parbhani): Sir—(Interruption).

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है .

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded): I
want to ask one question.

Mr. Deputy-Speaker: There cannot
be any question. I am sorry.

Shri Tulshidas Jadhav: One ques-
tion.

Mr. Deputy-Speaker: No.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:
On a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: No point of
order now.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:
Even without listening to the point
of order?

Mr. Deputy-Speaker: I have taken
up the other business.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:
I had raised it even before.

Mr. Deputy-Speaker: Is that with
regard to the Half-an-hour discus-
sion?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:
No, before this discussion I raised it.

Mr. Deputy-Speaker: I have called
the hon. Member.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:
The discussion is not yet initiated.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री किशन पटनायक : उपाध्यक्ष महोदय,
मुझे बहुत दुःख है कि आजादी के १६ साल के

बाद और योजना के एक युग के बाद, एक
घोर अकाल की स्थिति के बारे में मुझे
आलोचना शुरू करनी पड़ रही है ।

जब देश के किसी भी इलाके में घोर
अकाल की स्थिति आती है और लाखों आदमी
और जानवर खतरे में पड़ जाते हैं, तो उसमें
एक तो यह साबित होता है कि योजना की
नीतियां असफल रही हैं, और दूसरा यह कि
सरकार के प्रशासन को लकवा मार गया है
और वह खत्म हो गया है । यह नीति के बारे
में और प्रशासन के बारे में असफलता का
परिणाम है कि इस युग में घोर अकाल की
स्थिति पैदा हो गयी है ।

पहली बात मेरी यह है कि सिर्फ राजस्थान
में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के और भी कई
इलाकों में अभी भी अकाल की स्थिति है,
जैसे उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ
इलाके । कुछ इलाकों की स्थिति प्रचार न
होने से अखबारों में ठीक ढंग से नहीं आ पाती
जैसी कि राजस्थान की स्थिति आ गयी है ।
उड़ीसा में तो इस स्थिति का एक नतीजा
निकला है, जो कि जाहिर हो गया है । उड़ीसा
में दो हजार आदमी के करीब हैजे से मर
जाना इसी अस्वाभाविक स्थिति का परिणाम
है । इन मीतों का कारण अकाल के सिवाय
और कुछ नहीं है न किन हैजे के कारण अकाल
की स्थिति तो छिप गयी और हैजे की बात
फैल गयी । इस जमाने में, आजादी के १६ साल
के बाद देश के एक इलाके में एक दो महीने में
दो हजार आदमियों की इस तरह हैजे से मीत
हो जाना यह बहुत शर्म की बात है ।

यों तो एक दृष्टि से हिन्दुस्तान में कुछ
इलाके ऐसे हैं जहां कि निरन्तर अकाल की
स्थिति रहती है, और हर राज्य में ऐसा
एक एक इलाका होता है । और हिन्दुस्तान
में जिस ढंग से योजना हुई है, उससे इलाकों
में गैर बराबरी बढ़ रही है । योजना एक
चक्की है जो कि इन इलाकों को पीस रही है ।

**Half-an-hour discussion.